Registered No. E. P. 97 रजिस्टर्ड नं० इ० पी० ९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, गुरुवार, 16 अगस्त, 1956

विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक, शिमला-4, 14 अगस्त, 1956

सं० वी० एस०, 209/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट 'सी' स्टेट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 3 अगस्त, 1956 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, और अब उसे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्वसामान्य की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० 13, 1956

हिमाचल प्रदेश सहकारी-सभा अधिनियम, 1956

(भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 3 अगस्त, 1956 को स्वीकृति प्रदान की)

हिमाचल प्रदेश में सहकारी-सभाओं से सम्बन्धित विधि का संकलन तथा संशोधन करने का

अधिनियम

यह भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी-सभा अधिनियम, 1956 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जिसे राज्यशासन इस हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(1) 'असीमित दायित्व वाली सहकारी-सभा (co-operative society with unlimited liability)' का तात्पर्य उस सहकारी-सभा से है, जिसका विगणन (liquidation) होने पर उसकी सकलसम्पत्ति में हुई किसी प्रकार की कमी के लिए संयुक्त या पृथक् रूप से अंशदान देने का उसके सदस्यों का दायित्व सभा की उपविधियों के अधीन रहते हुए असीमित हो ;

(2) 'उपविधि (by-law)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) उपविधि या ऐसी उपविधि से है, जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) समझी गई हो और उपविधि का पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संशोधन इसके अन्तर्गत है ;

(3) 'कृषि-सभा (farming society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जो भूमि-विकास तथा कृषि करने के उत्तम उपायों का प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से बनाई गई हो ;

(4) 'कृषि-संचालक (Director of Agriculture)' का तात्पर्य तत्समय नियुक्त कृषि-संचालक से है और इसके अंतर्गत राज्यशासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृषि-संचालक के कर्तव्य सम्पादन के लिए नियुक्त कोई भी पदाधिकारी है ;

(5) 'केन्द्रीय सभा (central society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जिसकी सदस्यता में कम से कम एक सदस्य कोई सहकारी-सभा हो ;

(6) 'नियमों (rules)' का तात्पर्य ऐसे नियमों से है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हों या बनाए गए हुए समझे गए हों ;

(7) 'न्यासधारी (trustee)' का तात्पर्य न्यासधारी के रूप में धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है ;

(8) 'पदाधिकारी (officer)' के अन्तर्गत है,—प्रधान (president), उपप्रधान (vice president), सभापति (chairman), उपसभापति (vice chairman), सचिव (secretary), सहसचिव (assistant secretary), प्रबन्धक (manager), कोषाध्यक्ष (treasurer), प्रबन्धक-समिति का सदस्य सदस्यों में से निर्वाचित लेखा-परीक्षक (auditor) तथा नियम या उपविधि के अधीन सहकारी-सभा के काम के सम्बन्ध में निदेश देने के लिए अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति ;

(9) 'पर्षद् (बोर्ड)' का तात्पर्य धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन निर्मित पर्षद् (बोर्ड) से है ;

(10) 'रजिस्ट्रार (Registrar)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार के कर्तव्य सम्पादन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत हैं-संयुक्त रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, सहरजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त ऐसा व्यक्ति, जिस को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त या कोई सी शक्तियां दी गई हों या समस्त अथवा कोई से कर्तव्य सौंपे गए हों ;

(11) 'राजपत्र (official gazette)' का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के राजपत्र से है ;

(12) 'राज्यशासन (State Government)' का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल से है ;

(13) 'लेखा-परीक्षक (auditor)' का तात्पर्य धारा 71 के अधीन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सहकारी-सभा का लेखा-परीक्षण (audit) करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से है ;

(14) 'विगणिक (liquidator)' का तात्पर्य सहकारी-सभा के कार्यों का समापन करने के लिए (to wind up the affairs of) धारा 104 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है ;

(15) 'वित्त-प्रबन्धक अधिकोष (financing bank)' का तात्पर्य ऐसी सहकारी-सभा से है, जिस के उद्देश्यों में अन्य सहकारी-सभाओं को ऋण देने के लिए धन जुटाने का उद्देश्य सम्मिलित हो ;

(16) 'विवाचक (arbitrator)' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो धारा 88 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन ऐसे विवाद (dispute) का निश्चय करने के लिए नियुक्त हो, जो उसे निर्दिष्ट किया गया हो ;

(17) 'विवाद (dispute)' का तात्पर्य ऐसे विषय से है, जो दीवानी विवाद (civil litigation) का विषय हो सकना हो और सहकारी-सभा को देय या सहकारी-सभा द्वारा देय किसी भी राशि मे सम्बन्धित मांग (claim) इसके अन्तर्गत है चाहे वह मांग (claim) स्वीकार की जाए या न की जाए ;

(18) 'विहित (prescribed)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(19) 'शुद्ध लाभों (net profits)' का तात्पर्य ऐसे लाभों से है, जो स्थापन-व्यय (establishment charges), आकस्मिक व्यय (contingent charges), ऋण तथा निक्षेप (loans and deposits) पर देय ब्याज, लेखा-परीक्षण की फीस (audit fees) तथा अन्य विहित राशियां निकाल कर शेष रहे ;

(20) 'सदस्य (member)' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है, जो किसी सभा का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करने के प्रार्थनापत्र में सम्मिलित हो तथा जिसे पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के पश्चात् नियम तथा उपविधि के अनुसार सदस्य बना लिया गया हो ;

(21) 'सभा या पंजीकृत सभा (society or registered society)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा से है या ऐसी सहकारी-सभा से है, जिसके सम्बन्ध में यह समझा गया हो कि वह इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) है ;

(22) 'समिति (committee)' का तात्पर्य प्रबन्धक-समिति (committee of management) से या ऐसी अन्य निदेशक-समिति (directing body) से है, जिसे सभा के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा जाए, और ऐसी समिति इसमें सम्मिलित है, जिसका निर्वाचन पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) से पूर्व सभा बनाते समय हुआ हो ;

(23) 'सहकारी-वर्ष (co-operative year)' का तात्पर्य प्रथम जुलाई से प्रारम्भ हो कर तीस जून को समाप्त होने वाले वर्ष से है या ऐसे वर्ष से है, जो शासन द्वारा सहकारी सभाओं के लेखे (accounts) रखने के लिए विहित किया जाय ;

(24) 'सहकारी सभा (co-operative society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हो या पंजीकृत (रजिस्टर्ड) समझी गई हो ;

(25) 'सीमित दायित्व वाली सहकारी-सभा (co-operative society with limited liability)' का तात्पर्य उस सहकारी-सभा से है, जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस राशि तक सीमित हो, जो उनके द्वारा क्रमशः अपने हिस्सों (शेयरों) पर चुकानी शेष रही हो अथवा ऐसी राशि तक सीमित हो, जो वे उसकी उपविधियों द्वारा सभा का समापन होने की दशा में (in the event of its being wound up) उसकी सकलसम्पत्ति (assets) में देना स्वीकार करें (undertake to contribute) ;

(26) 'संघीय-सभा (federal society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जिस की सदस्यता में कम से कम तीन चौथाई सदस्य सभाएं हों ;

(27) धारा 84 के प्रयोजनार्थ 'स्वामी' के अन्तर्गत है - पृथक् पृथक् रूप में स्वामी, सांझेदार स्वामी या संयुक्त स्वामी (owner in severalty, in common or joint) और कब्जा रखने वाला बन्धक गृहीता (mortgagee in possession)।

अध्याय 2

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)

3. रजिस्ट्रार.—राज्यशासन राज्य या उस के किसी भाग के लिए किसी व्यक्ति को सहकारी-सभाओं का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा, और उस रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा तथा सामान्य या विशेष आदेश से ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां या उन में से कोई सी शक्ति दे सकेगा।

4. वे सभाएं, जिनका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) हो सकेगा.—(1) इस अधिनियम तथा इस के अन्तर्गत बनाए गए किन्हीं भी नियमों के उपबन्धाधीन ऐसी सभा, जिस का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के समान हित (common interest) की वृद्धि करना हो, या ऐसी सभा, जो उक्त सभा के काम को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बनाई गई हो, तथा किसी विद्यमान सहकारी-सभा के विभाजन (division) या विद्यमान सहकारी-सभाओं के एकीकरण (amalgamation) से बनी हुई सभाएं सीमित दायित्व (limited liability) के साथ या इस के बिना इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हो सकेंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन, जो सभा सीमित दायित्व (limited liability) के साथ पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हो उस के नाम का अन्तिम शब्द "सीमित" (limited) होगा।

(3) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धाधीन कोई सहकारी-सभा रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से और एक सामान्य-बैठक में प्रस्ताव पारित करके अपने दायित्व (liability) का रूप बदल सकेगी।

(4) जब उक्त प्रस्ताव पारित हो जाए तब सभा विहित रीति से उसकी लिखित सूचना (नोटिस) अपने समस्त सदस्यों और ऋण-दाताओं (creditors) को देगी और किसी भी उपविधि (by-law)

या संविदा (contract) में किसी विषय के प्रतिकूल होते हुए भी कोई भी सदस्य या ऋणदाता (creditor) उस पर सूचना की तामील हो जाने से छः मास के भीतर, अपने हिस्से (शेयर), अपना निक्षेप (deposit) या अपना ऋण वापस लेने के लिए विकल्प (option) प्रयोग कर सकेगा। ऐसा सदस्य या ऋणदाता (creditor), जो उपरोक्त अवधि में अपना विकल्प का प्रयोग न करे, उस के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह परिवर्तन से सहमत है।

(5) उक्त परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक या तो—

(क) समस्त सदस्य और ऋणदाता (creditors) उस से सहमत न हो गए हों; या

(ख) ऐसे सदस्यों और ऋणदाताओं (creditors) की समस्त मांगें (claims) सम्पूर्ण रूप से पूरी न कर दी गई हों, जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट विकल्प (option) का प्रयोग करते हैं।

5. **सीमित दायित्व वाली संस्थाओं के सदस्यों के स्वत्व (interest) और हिस्सों की पूंजी (share capital) पर आयंत्रण.**—जहां किसी सभा के सदस्यों का दायित्व हिस्सों (शेयरों) द्वारा सीमित (limited) हो उस दशा में सभा से अन्य कोई भी सदस्य—

(क) सभा के हिस्सों की पूंजी (share capital) के ऐसे भाग से अधिक अपने पास नहीं रख सकेगा, जो नियमों द्वारा विहित हो और यह सभा के हिस्सों की पूंजी (share capital) के पांचवें भाग से अधिक नहीं होगा; या

(ख) सभा के ऐसे हिस्सों (शेयरों) में, जो दस हजार रूपये से या विहित राशि से अधिक हों, कोई स्वत्व (interest) नहीं रखेगा या उस की मांग (claim) नहीं करेगा।

6. **सदस्यता तथा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की शर्तें.**—(1) जिस सभा की सदस्यता में कोई अन्य सभा सदस्य हो, उस से अन्य कोई भी ऐसी सभा इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) नहीं की जायगी, जिस में अठारह वर्ष से अधिक आयु वाले कम से कम दस सदस्य न हों, तथा जहां सभा का उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए धन जुटाना हो, उस दशा में यदि वे व्यक्ति एक ही शहर या गांव या एक ही ग्रामसमूह में न रहते हों।

(2) प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति सहकारी सभा का सदस्य बनने के योग्य होगा, यदि वह अधिनियम, नियमों और उपविधियों की शर्तों (conditions) को पूरा करता हो।

(3) कोई भी सहकारी सभा असीमित दायित्व वाली सभा के रूप में पंजीकृत नहीं की जाएगी यदि उसके उद्देश्यों में अपने सदस्यों को ऋण देने के अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य हों।

7. **कुछ प्रश्नों का निश्चय करने में रजिस्ट्रार की शक्ति.**—जब इस अधिनियम के अधीन या तो किसी सभा की संरचना, या उस के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) या उसे जारी रखने या उसके व्यवसाय के प्रयोजनार्थ या किसी व्यक्ति को सभा का सदस्य बनाने के प्रयोजनार्थ कोई प्रश्न उठे या ऐसा कोई प्रश्न उठे आयाकि कोई व्यक्ति शहर या ग्राम या ग्रामसमूह का निवासी है या नहीं या दो अथवा अधिक

ग्रामों को ग्रामसमूह माना जाये या नहीं या कोई व्यक्ति सभा का सदस्य है या नहीं तो उसका निश्चय रजिस्ट्रार करेगा और यह निश्चय अन्तिम होगा।

8. पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए प्रार्थनापत्र.— (1) पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार के नाम से उसे एक प्रार्थनापत्र दिया जायगा।

(2) प्रार्थनापत्र पर—

(क) ऐसी सभा की दशा में, जिस की सदस्यता में कोई सभा सदस्य न हो, धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार योग्यता प्राप्त कम से कम दस व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे, और

(ख) ऐसी सभा की दशा में, जिस की सदस्यता में कोई सभा सदस्य हो उक्त प्रत्येक सभा की ओर से उचित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति और जहां सभा के समस्त सदस्य सभाएं न हों, दस अन्य सदस्य, या जहां अन्य सदस्य दस से कम हों, उस दशा में वे समस्त सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

(3) प्रार्थनापत्र के साथ सभा की प्रस्तावित उपविधियों की दो प्रतिलिपियां साथ होंगी और जिन व्यक्तियों द्वारा या जिन की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र दिया जाये वे सभा के सम्बन्ध में ऐसी सूचना (information) प्रदान करेंगे, जो रजिस्ट्रार मांगे।

9. इस अधिनियम के उपबन्धों से सहकारी-सभाओं को विमुक्त (exempt) करने की शक्ति.—(1) राज्यशासन नियमों द्वारा—

(क) किसी भी सभा या सभा-श्रेणी को इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध या इस के अधीन बनाए गये नियमों की प्रयुक्ति से विमुक्त कर सकेगा, या

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सभा या सभा-श्रेणी पर ऐसे कोई भी उपबन्ध उस सीमा तक प्रयुक्त होंगे, जो नियमों में विनिष्ट की जाए।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्यशासन प्रत्येक दशा में और ऐसी शर्तों (conditions) यदि कोई हों, के प्रतिबन्धाधीन, जो वह लगाना चाहे, विशेष आदेश द्वारा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के सम्बन्ध में किसी भी सभा या सभा-श्रेणी को इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों से विमुक्त कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियां इन शर्तों (conditions) के प्रतिबन्धाधीन होंगी कि कोई भी नियम किसी भी सभा के प्रतिकूल उस सभा को अपनी स्थिति निवेदन करने का अवसर दिए बिना नहीं बनाया जाएगा।

10. पंजीयन (रजिस्ट्रेशन).—यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि किसी सभा ने इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पालन किया है और इस की प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं है-तो वह सभा तथा उसकी उपविधियों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कर सकेगा।

11. पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) का साक्ष्य.—राजस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट) इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि उस में वर्णित सभा उचित रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) है, यदि यह प्रमाणित न हो जाए कि सभा का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) रद्द कर दिया गया है।

12. सभा की उपविधियों का संशोधन.—(1) किसी सभा की उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक सामान्य बैठक के प्रस्ताव द्वारा उसका अनुमोदन न हुआ हो और इस अधिनियम के अधीन उसका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) न हो गया हो। इस हेतु संशोधन की दो प्रतिलिपियां विहित रूप से रजिस्ट्रार को भेजी जायेंगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि उपविधियों का कोई संशोधन इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं है तो वह संशोधन का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कर लेगा।

(3) जब रजिस्ट्रार किसी सभा की उपविधियों के किसी संशोधन का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करता है तो वह सभा को संशोधन की एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि दे देगा, जो उसके उचित रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होने का निर्णायक साक्ष्य होगी।

13. नाम में परिवर्तन और इसका प्रभाव.—कोई सभा सामान्य बैठक के प्रस्ताव द्वारा और रजिस्ट्रार का अनुमोदन लेकर अपना नाम बदल सकेगी; किन्तु नाम परिवर्तन से सभा या उसके किसी भी सदस्य या उसके भूतपूर्व अथवा मृत सदस्य के किसी अधिकार या आभार (right or obligation) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी विचाराधीन वैधानिक कार्यवाहियां (legal proceedings) सभा द्वारा या उसके विरुद्ध उसके नये नाम से जारी रखी जा सकेंगी।

14. सभाओं का एकीकरण और हस्तांतरण (amalgamation and transfer of societies).—(1) कोई सी दो या अधिक सभाएं रजिस्ट्रार के अनुमोदन से उक्त प्रत्येक सभा की तत्प्रयोजनार्थ विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा एक ही सभा में एकीकृत (amalgamate) हो सकेंगी ; परन्तु प्रत्येक सदस्य को प्रस्ताव तथा बैठक के दिनांक की लिखित सूचना (नोटिस) ठीक पन्द्रह दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। उक्त एकीकरण (amalgamation) एकीकृत होने वाली सभाओं (amalgamating societies) की निधि (funds) के विघटन या विभाजन (dissolution or a division) के बिना किया जा सकेगा।

(2) उक्त एकीकरण (amalgamation) हो जाने पर सम्बद्ध सभाओं का प्रस्ताव एकीकृत होने वाली सभाओं (amalgamating societies) की सकल-सम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) को एकीकृत-सभा (amalgamated society) में निहित करने के लिये पर्याप्त हस्तांतरपत्र (conveyance) होगा।

(3) कोई भी सभा उपधारा (1) और (2) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव द्वारा अपनी सकल-सम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) को किसी भी ऐसी सभा को हस्तांतरित कर सकेगी, जो उन्हें लेने के लिए तैयार हो :

परन्तु जब उक्त किसी एकीकरण (amalgamation) या सकल-सम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) के हस्तांतरण में किसी सभा द्वारा अपने दायित्वों का किसी अन्य सभा को हस्तांतरण करना भी सम्मिलित हो तो इन दोनों या इन समस्त सभाओं के ऋणदाताओं (creditors) को तीन महीने की सूचना दिए बिना यह नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि यदि किसी भी सम्बद्ध सभा का या सभाओं के कोई ऋणदाता (creditor or creditors) उक्त एकीकरण (amalgamation) या सकल-सम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) के हस्तांतरण पर आपत्ति करे या करें और सम्बन्धित सभा या सभाओं को उक्त एकीकरण (amalgamation) या हस्तांतरण के लिए नियत दिनांक से एक मास पूर्व इस निमित्त सूचना (नोटिस) दें तो एकीकरण (amalgamation) या हस्तांतरण तब तक नहीं किया जायगा जब तक उक्त ऋणदाता या ऋणदाताओं (creditor or creditors) को देय राशियां (dues) न चुका दी गई हों।

15. सभाओं का विभाजन (division).—(1) कोई भी सभा रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, तत्प्रयोजनार्थ सभा की विशेष सामान्य-बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपनी सभा को दो या अधिक सभाओं में विभक्त करने का निश्चय कर सकेगी; परन्तु प्रस्ताव और बैठक के दिनांक की लिखित सूचना (नोटिस) प्रत्येक सदस्य को ठीक पन्द्रह दिन पूर्व मिल जानी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव में (जिसे यहां से आगे इस धारा में प्रारम्भिक प्रस्ताव कहा गया है) सभा की सकल-सम्पत्ति और दातव्य (assets and liabilities) उन नई सभाओं में, जिनमें उसे बांटने का विचार हो, विभाजित करने का सुझाव होगा और नई सभाओं का कार्यक्षेत्र विहित किया जा सकेगा तथा नई सभा के सदस्यों की संख्या विशिष्ट की जा सकेगी।

(2) प्रारम्भिक प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सभा के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं (creditors) को भेजी जाएगी। प्रस्ताव की सूचना (नोटिस) विहित रीति से अन्य समस्त ऐसे व्यक्तियों को भी दी जाएगी, जिनके स्वत्वों (interests) पर सभा के विभाजन से प्रभाव पड़ेगा।

(3) सभा का कोई भी सदस्य किसी उपविधि के प्रतिकूल होते हुए भी प्रस्ताव मिलने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर सभा को सूचना (नोटिस) दे कर नई सभाओं में से किसी का भी सदस्य न होने के लिए अपनी इच्छा प्रदर्शित कर सकेगा।

(4) सभा का कोई भी ऋणदाता (creditor) किसी भी निबन्ध (agreement) के प्रतिकूल होते हुए भी, उपरोक्त अवधि में सभा को सूचना (नोटिस) दे कर वह राशि, जो सभा उसे देनी हो, वापस लेने के लिए अपनी इच्छा प्रदर्शित कर सकेगा।

(5) अन्य कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वत्वों पर विभाजन (division) से प्रभाव पड़े, सभा को सूचना (नोटिस) देकर तबतक विभाजन (division) पर आपत्ति कर सकेगा जबतक उसकी माँग (claim) पूरी न हो जाए।

(6) उपधारा (2) के अधीन प्रारम्भिक प्रस्ताव की प्रतिलिपि सभा के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं (creditors) को भेज दिए जाने या प्रदान कर दिए जाने तथा सूचना (नोटिस) की प्रतिलिपि अन्य व्यक्तियों को दे दिए जाने के पश्चात् तीन मास समाप्त हो जाने पर, प्रारम्भिक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक दूसरी विशेष सामान्य-बैठक की जाएगी, जिसके लिए सदस्यों को कम से कम ठीक पन्द्रह दिन की सूचना (नोटिस) दी जाएगी यदि ऐसी बैठक

में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से या तो परिवर्तनों सहित या परिवर्तनों के बिना, जो रजिस्ट्रार की राय में सारभूत (material) न हों, प्रारम्भिक प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाए, तो वह उपधारा (9) और उपधारा (10) के उपबन्धों के प्रतिबन्धाधीन नई सभाओं और उनकी उपविधियों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कर सकेगा। ऐसा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) हो जाने पर पुरानी सभा के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के बारे में यह समझा जायगा कि वह रद्द कर दिया गया है और इस प्रकार रद्द होने के दिनांक से सभा विघटित (dissolved) समझी जाएगी।

(7) इस विषय का निर्णय करने के लिए रजिस्ट्रार की राय अन्तिम होगी आयाकि प्रारम्भिक प्रस्ताव में किए गए परिवर्तन सारभूत (material) हैं या नहीं और उस पर कोई अपील नहीं हो सकेगी।

(8) उपधारा (6) में निर्दिष्ट विशेष सामान्य-बैठक में अन्य प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जाएगी :—

(अ) उन समस्त सदस्यों के हिस्सों की पूंजी (share capital) की वापसी, जिन्हों ने उपधारा (3) के अधीन सूचना (नोटिस) दी हो ;

(आ) उन समस्त ऋणदाताओं (creditors) की मांगों (claims) की पूर्ति, जिन्होंने उपधारा (4) के अधीन सूचना (नोटिस) दी हो ;

(इ) जिन अन्य व्यक्तियों ने उपधारा (5) के अधीन सूचना (नोटिस) दी हो उनकी मांगों (claims) की रजिस्ट्रार के निश्चय के अनुसार पूर्ति या जैसा रजिस्ट्रार निदेश दे उसके अनुसार, उनकी मांगों (claims) की सुरक्षा :

परन्तु कोई भी सदस्य या ऋणदाता (creditor) या अन्य व्यक्ति उक्त वापसी या मांग पूर्ति का तब तक अधिकारी नहीं होगा, जबतक प्रारम्भिक प्रस्ताव की उपधारा (6) के उपबन्धानुसार पुष्टि नहीं हो जाती।

(9) यदि उस अवधि में, जो रजिस्ट्रार उचित समझे, उपधारा (8) में निर्दिष्ट सदस्यों के हिस्सों की पूंजी (share capital) वापस नहीं दी जाती या उसी उपधारा में निर्दिष्ट ऋणदाताओं (creditors) की मांगें पूरी नहीं की जातीं या उपधारा (8) के खन्ड (इ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मांगें पूरी या सुरक्षित नहीं की जातीं तो रजिस्ट्रार नई सभा को पंजीकृत (रजिस्टर) करना अस्वीकार कर सकेगा।

(10) ट्रांस्फर आफ प्रापरटी ऐक्ट, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) या इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Registration Act, 1908) में किसी बात के होते हुए भी नई सभाओं का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) मूल सभा की सकलसम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) को नई सभाओं में उपधारा (6) के अधीन पुष्ट प्रारम्भिक प्रस्ताव में विशिष्ट रीति के अनुसार निहित करने के लिए पर्याप्त हस्तांतरपत्र (conveyance) होगा।

अध्याय 3

अधिकार और दायित्व

16. जब तक देय राशियां न चुका दी जाएं तब तक सदस्य अधिकार-प्रयोग नहीं करेंगे.—कोई भी व्यक्ति सभा के सदस्य के नाते तब तक अधिकार प्रयोग नहीं करेगा, जब तक सदस्यता के सम्बन्ध में उसने सभा को ऐसी चुकती न कर दी हो या सभा में ऐसा स्वत्व(interest) प्राप्त न कर लिया हो, जो उक्त सभा के नियमों या उपविधियों द्वारा विहित हो।

17. सदस्यों का मत.—(1) किसी भी सभा के किसी सदस्य को उस के मामलों में एक से अधिक मताधिकार प्राप्त नहीं होगा, परन्तु समान मत होने पर सभापति एक निर्णायक मत दे सकेगा।

(2) जहां सभा का कोई हिस्सा (शेयर) संयुक्त रूप में एक से अधिक व्यक्तियों के पास हो उस दशा में केवल वही व्यक्ति मताधिकारी होगा जिसका नाम हिस्से के प्रमाणपत्र (शेयर सर्टीफिकेट) में पहले लिखा हो।

(3) कोई सभा, जिसने अपनी निधि का कोई अंश किसी अन्य सभा के हिस्सों (शेयरों) में विनियोजित (invest) किया हो, उस अन्य सभा के मामलों में मत देने के लिए विहित संख्या में अपने सदस्य नियुक्त कर सकेगी।

18. हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) के हस्तांतरण पर आयंत्रण.—(1) सभा की पूंजी में किसी सदस्य के हिस्से या स्वत्व (share or interest) का हस्तांतरण या प्रभार अधिकतम धारण (maximum holding) के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों के प्रतिबन्धाधीन होगा, जो इस अधिनियम या नियमों द्वारा विहित हों।

(2) कोई सदस्य किसी सभा की पूंजी या सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का अपना हिस्सा (शेयर) या अपना स्वत्व (interest) तब तक हस्तांतरित नहीं करेगा, जब तक—

(क) उक्त हिस्सा (शेयर) या स्वत्व (interest) उसके पास कम से कम एक वर्ष तक न रहा हो;

(ख) सभा या सभा के किसी सदस्य या ऐसे व्यक्ति को, जिसका प्रार्थनापत्र सभा द्वारा स्वीकार हो गया है, हस्तांतरित न कर दिया हो या उसका प्रभार न दे दिया हो; और

(ग) समिति ने उक्त हस्तांतरण अनुमोदित न कर दिया हो।

19. सदस्यों का दायित्व.— सभा का समापन (winding up) होने पर सभा के सदस्य संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से ऐसी किसी भी कमी को, जो सभा की सकलसम्पत्ति (assets) में हुई हो, पूरा करने के लिए —

(क) ऐसी सभा की दशा में, जिसका दायित्व असीमित हो, बिना किसी सीमा के उत्तरदायी होंगे, और

(ख) सीमित दायित्व वाली सभा की दशा में उस सीमित राशि तक उत्तरदाई होंगे, जो उपविधियों में व्यवस्थित हो।

20. भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व.—भूतपूर्व सदस्य की सदस्य । समाप्त होने के समय सभा के उधार (debt) की जो स्थिति हो उसके लिए भूतपूर्व सदस्य उत्तरदायी रहेगा, यदि धारा 103 के अधीन समापन का आदेश (order of winding up) उस दिनांक से दो वर्ष के मध्य प्रभावी हो जाए, जिस दिनांक से उसकी सदस्यता समाप्त हुई हो।

21. मृत सदस्य की सम्पदा पर दायित्व.—मृत सदस्य की मृत्यु के समय सभा के उधार (debt) की जो स्थिति हो उसके लिए मृत सदस्य की सम्पदा (estates) पर दायित्व रहेगा, यदि धारा 103 के अधीन समापन का आदेश उसकी मृत्यु के दिनांक से दो वर्ष के मध्य प्रभावी हो जाए।

22. सदस्यों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी सकलसम्पत्ति के अन्यापंण (alienation) की सूचना (information) प्रदान किया जाना.—(1) अपनी सकलसम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) का एक पूरा, सत्य और ठीक ब्योरा—

(क) असीमित दायित्व वाली सभा की सदस्यता के प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) असीमित दायित्व वाली सभा के सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जायगा जब रजिस्ट्रार या उसके सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या वित्त प्रबन्धक अधिकोष (financing bank) ऐसी अपेक्षा करे, और

(ग) किसी भी अन्य सभा के सदस्य द्वारा ऋण (loan) लेने के लिए या प्रतिभू (surety) के रूप में स्वीकार कर लिए जाने के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) सभा का कोई सदस्य प्रत्येक व्यवहार (transaction) पूरा होने से पहले उस सभा को, जिसका वह सदस्य हो, अपनी अचल सम्पत्ति (immovable property) या उसके किसी भाग या हिस्से (portion or share) की बिक्री, बन्धक या हस्तांतरण, चाहे वह किसी भी रूप में हो, और ऐसे किसी उधार (debt) के सम्बन्ध में, जिसे उक्त सम्पत्ति को प्रतिभूति (security) पर लेने का विचार हो, पूरी, सत्य और ठीक सूचना (information) देगा।

अध्याय 4

सहकारी सभाओं की संस्थिति (status) और प्रबन्ध

23. सभाएं निगम निकाय (bodies corporate) होंगी.—किसी सभा का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) होने से वह उस नाम से एक निगम निकाय (body corporate) बन जाएगी, जिस नाम से वह पंजीकृत हुई हो। इस का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुहर होगी और इसे सम्पत्ति रखने, संविदा करने, वाद चलाने तथा वाद से प्रतिरक्षा करने और अन्य वैधानिक कार्यवाहियां चलाने और उन से प्रतिरक्षा करने तथा अपनी संरचना (constitution) के प्रयोजनार्थ समस्त आवश्यक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

24. सहकारी सभा का अंतिम प्राधिकार.—(1) प्रत्येक सहकारी सभा का अंतिम प्राधिकार सामान्य-बैठक में उपस्थित सदस्यों की सामान्य सभा को प्राप्त होगा :

परन्तु विहित परिस्थितियों में अंतिम प्राधिकार उन सदस्यों के विहित रीति से चुने हुए और सामान्य बैठक में एकत्रित प्रतिनिधियों में निहित हो सकेगा।

(2) सामान्य बैठक बुलाई जाएगी और विहित रीति से वह अपना प्राधिकार प्रयोग करेगी।

25. वार्षिक सामान्य-बैठक.—(1) प्रत्येक सभा की सामान्य-बैठक प्रत्येक सहकारिता वर्ष में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कम से कम एक बार होगी:—

(क) प्रबन्धक समिति के सदस्यों और अन्य ऐसे पदाधिकारियों का चुनाव, जिनकी व्यवस्था उप-विधियों में की जाए;

(ख) धारा 74 में निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) पर विचार; और

(ग) अन्य ऐसे किसी भी विषय पर विचार, जो उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।

(2) उक्त बैठकें अंतिम पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक के पश्चात् कम से कम पन्द्रह मास के भीतर की जाएगी और यदि रजिस्ट्रार विशेष कारणों के आधार पर अवधि न बढ़ा दे तो धारा 74 में निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) की सभा द्वारा प्राप्ति के लिए विहित दिनांक से तीन मास के भीतर की जाएगी :

परन्तु रजिस्ट्रार उन कारणों के आधार पर, जो वह लेखबद्ध करेगा, उपधारा (1) और उपधारा (2) में विहित अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी ऐसी बैठक करने की अनुमति दे सकेगा।

26. विशेष सामान्य-बैठक.—(1) प्रबन्धक-समिति के सदस्यों के बहुमत से किसी भी समय एक विशेष सामान्य-बैठक बुलाई जा सकेगी, और

(क) किसी भी ऐसी सहकारी सभा, जिस में पांच सौ से अधिक सदस्य न हों, के एक चौथाई सदस्यों या किसी भी अन्य सभा के 1/5 सदस्यों की लिखित मांग पर विशेष सामान्य बैठक बुलाई जाएगी, या

(ख) रजिस्ट्रार के निदेश से विशेष सामान्य-बैठक बुलाई जाएगी :

परन्तु ऐसी सभा की दशा में, जिस में दो हजार पांच सौ से अधिक सदस्य हों, खंड (क) के अधीन मांग-पत्र विहित रीति से चुने हुए प्रतिनिधियों (delegates) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार या लिखित रूप में उस के विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी समय सभा की सामान्य बैठक बुला सकेगा और उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की मांग पर या रजिस्ट्रार के निदेशानुसार सभा के बैठक न बुला सकने पर उक्त बैठक बुला सकेगा।

(3) ऐसे किसी नियम या उपविधि के होते हुए भी, जिस में सामान्य-बैठक की सूचना की अवधि और बुलाने का ढंग विहित किया गया हो, उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार के निदेशानुसार

बुलाई गई बैठक की दशा में रजिस्ट्रार या उपधारा (2) के अधीन बुलाई गई बैठक की दशा में उक्त व्यक्ति, बैठक का समय और स्थान, बैठक बुलाने का ढंग और वे विषय, जिन पर उस में विचार जाएगा, विशिष्ट कर सकेगा।

27. प्रबन्धक समिति.—प्रत्येक सहकारी सभा का प्रबन्ध नियमों और उपविधियों के अनुसार निर्मित प्रबन्धक समिति में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियां प्रयोग करेगी, और ऐसे कर्तव्य सम्पादन करेगी, जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा क्रमशः उसे प्रदत्त या उस पर आरोपित हों।

28. सहकारी सभा के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए सरकारी कर्मचारी प्रनियुक्त (depute) करने की शक्ति.—राज्यशासन सहकारी सभा के प्रार्थनापत्र देने पर और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जाएं, सभा के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को सभा की सेवा में प्रनियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार प्रनियुक्त सरकारी कर्मचारी विहित शक्तियां प्रयोग करेगा और विहित कर्तव्य सम्पादन करेगा।

29. प्रबन्धक समिति का विघटन (dissolution) तथा पुन. संरचना.—(1) यदि धारा 76 के अधीन निरीक्षण के पश्चात् या धारा 77 के अधीन परिपृच्छा पर रजिस्ट्रार का ऐसे कारणों से, जो वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जाए कि सहकारी सभा की प्रबन्धक समिति सभा के कार्यों का ठीक प्रबन्ध नहीं कर रही है, तो वह धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे समय में, जो वह निश्चित करे, प्रबन्धक समिति के विघटन तथा, उसकी पुनः संरचना करने के लिए सभा की विशेष सामान्य-बैठक की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए निदेश में रजिस्ट्रार ऐसे कारणों के आधार पर, जो वह लेखबद्ध करेगा, यह आदेश दे सकेगा कि विघटित होने वाली प्रबन्धक समिति के समस्त या कोई भी सदस्य ऐसी तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जो वह निश्चित करेगा, सभा के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने या नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे।

(3) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि पूर्ववर्ती अन्तिम उपधारा के अधीन प्रबन्धक समिति के परिवर्तन या निलंबन में किसी भी प्रकार का विलम्ब करने से सभा को ऐसी हानि हो जाएगी, जिसकी पूर्ति न हो सके, तो वह प्रबन्धक समिति या संचालक-पर्षद् (Board of Directors) का अंशतया या पूर्णतया तुरन्त निलम्बन करने का आदेश दे सकेगा और उक्त सहकारी सभा के मामलों का आवश्यक अवधि तक प्रबन्ध करने के लिये एक प्रशासक की नियुक्ति ऐसी शर्तों पर कर सकेगा, जो वह विहित करे, किन्तु यह अवधि धारा 30 की उपधारा (1) और उसके परादिक में व्यवस्थित अवधि से अधिक नहीं होगी।

30. प्रबन्धक समिति का विघटन तथा सहकारी सभा के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिये व्यक्ति की नियुक्ति.—(1) यदि ऐसी अवधि में तथा ऐसी रीति के अनुसार, जो धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रार निदेशित करे, प्रबन्धक समिति का विघटन तथा उसकी पुनः संरचना नहीं की जाती तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धक समिति का विघटन करेगा, जिसके सदस्य तुरन्त ही अपना पद खाली कर देंगे और

तदुपरान्त रजिस्ट्रार एक या अधिक उपयुक्त व्यक्तियों को ऐसी शर्तों पर जो विहित की जायें, सहकारी सभा के मामलों का एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये प्रबन्ध करने के हेतु और ऐसे दिनांक तक, जो रजिस्ट्रार नियत करे, नई प्रबन्धक समिति बनाने का प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त करेगा :

परन्तु राज्यशासन एक वर्ष की अवधि को पुनः दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि तक बढ़ा सकेगा, जो वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश लिख कर दिया जायेगा। उसमें वे कारण दिये जायेंगे जिनके आधार पर वह दिया गया हो और यह उसी समय दिया जायेगा जब प्रबन्धक समिति को तत्सम्बन्धी अपनी आपत्तियां निवेदन करने का अवसर दिया जा चुका हो।

31. धारा 30 के अधीन नियुक्त व्यक्ति की पदावधि.—धारा 29 या 30 के अधीन नियुक्त व्यक्ति तब तक पदासीन रहेगा, जब तक प्रबन्धक समिति की पुनः संरचना नहीं हो जाती या उसकी नियुक्ति रजिस्ट्रार ने रद्द न कर दी हो।

32. समिति के विघटन पर सहकारी सभा का प्रबन्ध.—धारा 29 या 30 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति की पदावधि के मध्य—

(क) सहकारी सभा की समस्त सम्पत्ति रजिस्ट्रार में निहित होगी ;

(ख) इस बात के होते हुए भी कि धारा 113 के अन्तर्गत, अपील की गई है रजिस्ट्रार के नियंत्रणाधीन उक्त व्यक्ति उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे समस्त कर्तव्य सम्पादन करेगा, जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन प्रबन्धक समिति द्वारा या सभा के किसी पदाधिकारी द्वारा प्रयोग की जायें या सम्पादित किये जायें।

अध्याय 5

सहकारी सभाओं के कर्तव्य तथा आभार

33. सभाओं का पता.—नियमों के अनुसार प्रत्येक सभा का एक पंजीकृत पता (registered address) होगा, जिस पते पर समस्त सूचनाएं (नोटिसिज़) तथा पत्रादि भेजे जा सकेंगे और वह उक्त पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने के तीस दिन के भीतर इस परिवर्तन की लिखित सूचना (नोटिस) रजिस्ट्रार को भेजेगी।

34. अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों की प्रतिलिपि का निरीक्षण हो सकेगा.—प्रत्येक सभा अपने पंजीकृत (रजिस्टर्ड) पते पर हर उचित समय में निरीक्षण के लिये निम्नलिखित बस्तुएं तैयार रखेगी—

(क) इस अधिनियम की एक प्रतिलिपि,

(ख) उक्त सभा में प्रयुक्त होने वाले नियमों की प्रतिलिपि,

(ग) उक्त सभा की उपविधियों की एक प्रतिलिपि, और

(घ) इस के सदस्यों की एक पंजी (रजिस्टर)।

35. **वार्षिक सन्तुलन पत्र (balance sheet) का प्रकाशन.**—प्रत्येक सहकारी सभा लेखा परीक्षक (औडिटर) द्वारा प्रमाणित सन्तुलन पत्र (balance sheet) विहित रीति से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित करेगी।

36. **सूचना (information) प्रस्तुत करने का दायित्व.**— सहकारी सभा का प्रत्येक पदाधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य सभा के व्यवहारों (transactions) में या कार्य-संचालन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्रदान करेगा, जो रजिस्ट्रार या लेखा परीक्षक (औडिटर), विवाचक (arbitrator), विगणिक (liquidator) या निरीक्षण अथवा परिपृच्छा करने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे मांगे।

अध्याय 6

सहकारी सभाओं की सम्पत्ति तथा निधि

37. **निधि का विनियोजन (investment of funds).**—(1) पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा अपनी निधि का विनियोजन (investment) निम्नलिखित में कर सकेगी या निम्नलिखित के पास जमा करा सकेगी—

(क) पोस्ट आफिस सेविंगज बैंक में, या

(ख) इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1882 (Indian Trusts Act, 1882) की धारा 20 में विशिष्ट किन्हीं भी प्रतिभूतियों (securities) में, या

(ग) किसी अन्य पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा के हिस्सों (शेयरों) में या प्रतिभूति में, या

(घ) किसी बैंक के पास या रजिस्ट्रार द्वारा उस कार्य के लिये अनुमोदित बैंकिंग का कार्य करने वाले व्यक्ति के पास, या

(च) नियमों द्वारा अनुमत किसी अन्य रीति (mode) से।

(2) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने से पूर्व विनियोजित राशियां या जमा की गई राशियां, (investments or deposits) यदि वे इस अधिनियम का प्रचलन होने की दशा में वैध हों तो एतत् द्वारा उन्हें मान्य और पुष्ट किया जाता है।

38. **लाभों का वितरण.**—(1) विहित दशा को छोड़ कर असीमित दायित्व वाली सभा के सम्बन्ध में लाभ का वितरण नहीं किया जायेगा, और इस धारा में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर सभा की निधि का कोई भी भाग उसके सदस्यों को लाभांश (dividend) या अतिरिक्त लाभांश (bonus) या किसी अन्य रूप में नहीं बांटा जायेगा।

(2) कोई भी लाभांश (dividend) या अतिरिक्त लाभांश (bonus)—

(क) केवल उन्हीं लाभों में से बांटा जायगा, जिन्हें लेखा-परीक्षक ने वास्तव में प्राप्त लाभ प्रमाणित किया हो ; या

(ख) रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बांटा जायेगा, यदि लेखा-परीक्षक यह प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दे कि कोई सकलसम्पत्ति (asset) ठीक नहीं है या संदिग्ध है

और यह सिफारिश भी करे कि उक्त स्वीकृति आवश्यक है :

परन्तु लेखा परीक्षक ऐसी सिफारिश तब तक नहीं करेगा, जब तक उक्त सकलसम्पत्ति (asset) पूर्णतः पर्याप्त न हो।

(3) किसी वर्ष के शुद्ध लाभों में से धारा 39 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित अनुपात निकाल कर आरक्षित निधि में जमा कराने के पश्चात् उपधारा (2) के प्रतिबन्धाधीन, उक्त लाभों का बकाया गत वर्षों के अवितरित लाभों सहित, यदि कोई हों, विहित मात्रा में और विहित शर्तों के अधीन सदस्यों में लाभांश (dividend) के रूप में वितरित किया जा सकेगा या किसी सदस्य या कर्मचारी को ऐसी विशिष्ट सेवा के लिये, जो उसने सभा को प्रदान की हो, अतिरिक्त लाभ (bonus) या परिलाभ (remuneration) के रूप में दिया जा सकेगा।

(4) धारा 40 के अधीन कोई भी अंशदान (contribution) केवल वास्तव में प्राप्त लाभों में से ही दिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

39. आरक्षित निधि (Reserve Fund).—(1) प्रत्येक सभा अपने व्यवहार से प्राप्य लाभों, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में एक आरक्षित निधि रखेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष में सभा के शुद्ध लाभों (net profits) का कम से कम पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक ऐसा अनुपात, जो उक्त सभा या सभा-श्रेणी के लिये विहित किया जाए, आरक्षित निधि में जमा कर दिया जाएगा।

(3) उस मात्रा और रीति को छोड़ कर, जो विहित की जाए, सभा के व्यवसाय में उसकी आरक्षित-निधि (reserve fund) का कोई भी भाग प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

(4) नियमों के प्रतिबन्धाधीन आरक्षित निधि का ऐसा भाग, जो सभा के व्यवसाय में प्रयोग न हुआ हो निम्नलिखित में विनियोजित (invested) कर दिया जाएगा या निम्नलिखित के पास जमा करा दिया जाएगा :—

(क) पोस्ट आफिस सेविंगज़ बैंक में; या

(ख) इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1882 (Indian Trusts Act, 1882) की धारा 20 में विशिष्ट प्रतिभूतियों में से, उस धारा के खंड (e) में विशिष्ट प्रतिभूतियों को छोड़ कर, किसी भी प्रतिभूति में; या

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य बैंक में।

40. परोपकार सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए अंशदान (contribution).—किसी वर्ष के शुद्ध लाभों का, धारा 39 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित अनुपात आरक्षित निधि में डालने के पश्चात् कोई सभा नियमानुसार चैरिटेबल ऐंडोमैंट्स ऐक्ट, 1890 (Charitable Endowments Act, 1890) की धारा 2 में परिभाषित किसी भी परोपकार सम्बन्धी प्रयोजन के लिए उक्त बकाया के दस प्रतिशत तक अंशदान दे सकेगी।

41. भविष्य-निधि (प्रेविडेन्ट फंड).— (1) कोई भी सभा, स्थितिअनुसार, अपने सदस्यों, पदाधिकारियों या कर्मचारियों के लिए एक भविष्य निधि (प्रोविडेन्ट फंड) स्थापित कर सकेगी और जब धारा 39 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किसी वर्ष के शुद्ध लाभों का अनुपात आरक्षित-निधि में जमा करा दिया गया हो और जब धारा 40 द्वारा अपेक्षित अंशदान दे दिया गया हो तो सभा भविष्य-निधि (प्रोविडेन्ट फंड) में ऐसा अंशदान दे सकेगी, जिसकी नियमों या उपविधियों में व्यवस्था की जाए।

(2) उक्त भविष्य-निधि (प्रोविडेन्ट फंड) का प्रयोग सभा के व्यवसाय में नहीं किया जाएगा, किन्तु वह धारा 39 की उपधारा (4) में विशिष्ट एक या अधिक रीतियों में विनियोजित (invest) कर दी जाएगी या जमा कर दी जाएगी।

42. ऋणों (loans) पर आयंत्रण.—(1) कोई भी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऋण नहीं देगी :

परन्तु रजिस्ट्रार की सामान्य या विशेष स्वीकृति लेकर कोई पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा अन्य पजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा को या ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य न हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ऋण (loans) दे सकेगी, जो विहित की जाएं।

(2) उस दशा को छोड़ कर जब रजिस्ट्रार की स्वीकृति ले ली गई हो, असीमित दायित्व unlimited liability) वाली कोई सभा चल-सम्पत्ति (movable property) की प्रतिभूति (security) पर धन ऋण (lend) नहीं देगी।

(3) राज्यशासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा को या पंजीकृत रजिस्टर्ड) सभा-श्रेणी को अचल-सम्पत्ति (immovable properity) के बन्धक (mortgage) पर धन ऋण देना (lending of money) मना कर सकेगी या उस पर आयन्त्रण लगा सकेगी।

43. उधार लेने (borrowing) पर आयन्त्रण.—कोई पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा उन व्यक्तियों से, जो सदस्य न हों, केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों पर, जो नियमों या उपविधियों द्वारा विहित की जाएं, निक्षेप या ऋण (deposits and loans) प्राप्त करेगी।

44. ऐसे व्यक्तियों से, जो सदस्य न हों, अन्य व्यवहार करने पर आयंत्रण.—धारा 42 और 43 में व्यवस्थित दशा को छोड़ कर पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा का सदस्यों के सिवाए अन्य व्यक्तियों से व्यवहार ऐसे निषेधों (prohibitions) और आयंत्रणों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए होगा, जैसा राज्य शासन नियमों द्वारा विहित करे।

45. किसी सहकारी प्रयोजन के लिये अंशदान.—यदि रजिस्ट्रार ऐसा करने का निदेश दे तो कोई भी सभा किसी वर्ष में शुद्ध लाभों (net profits) का एक चौथाई आरक्षित-निधि में जमा कराने के पश्चात् शेष शुद्ध लाभों के पांच प्रतिशत से अनधिक राशि ऐसे सहकारी प्रयोजन के लिये अंशदान के रूप में दे सकेगी, जो विहित किया जाए।

46. सहकारी शिक्षा-निधि में अंशदान.— प्रत्येक सभा जो, अपने सदस्यों को चार प्रतिशत पर

या अधिक दर (rate) पर लाभांश (dividend) देती हो, विहित सहकारी शिक्षा-निधि में और विहित दर (rate) से अंशदान देगी।

अध्याय 7

सहकारी सभाओं के विशेषाधिकार और शक्तियां

47. सहकारी सभाओं की लगान सम्बन्धी वाद (rent suit) की सूचना (नोटिस) मंगवाने की शक्ति.—ऐसी सभा जिस के उद्देश्यों के अन्तर्गत अपने सदस्यों, को ऋण (loan) देना भी सम्मिलित हो और ऐसे वित्त प्रबन्धक अधिकोष, यदि कोई हो, जिनको उक्त सभा सदस्य हो, उक्त सभा के किसी भी सदस्य के भूमिपति पर विहित रीति से सूचना (नोटिस) की तामील कराके भूमिपति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उक्त सदस्य के विरुद्ध उसके द्वारा दायर किये गये किसी लगान सम्बन्धी वाद (rent suit) की सूचना (नोटिस) उक्त सभा या वित्त प्रबन्धक अधिकोष या इन दोनों को प्रदान करे।

48. सदस्यों के हिस्सों (शेयरों) के सम्बन्ध में प्रभार और प्रतिसादन (set off).—पूंजी के हिस्से या स्वत्व (share or interest) और किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के निक्षेप (deposit) और उक्त किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सभा को देय किसी उधार (debt) के सम्बन्ध में किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को देय किसी भी लाभांश, अतिरिक्त लाभ या लाभों पर, पंजीकृत सभा (रजिस्टर्ड सोसाइटी) का प्रभार होगा, और वह किसी सदस्य, या भूतपूर्व या मृत सदस्य के नाम पर जमा या उस को देय राशि का उक्त किसी उधार (debt) की चुकती करने में प्रतिसादन (set off) कर सकेगी।

49. हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) की कुर्की नहीं हो सकेगी.—धारा 48 के उपबन्धाधीन किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा की पूंजी में किसी सदस्य के हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) की, उक्त सदस्य द्वारा लिये गये किसी उधार या उठाये गये किसी दायित्व के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या बिक्री नहीं हो सकेगी, और न ही प्रोविंशियल इन्सौलवैंसी ऐक्ट, 1920 (Provincial Insolvency Act, 1920) के अधीन कोई भी आदाता (receiver) उक्त हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) की मांग करने या उस पर मांग रखने का अधिकारी होगा।

50. सदस्यों की पंजी (रजिस्टर).—किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा द्वारा सदस्यों या हिस्सों (शेयरों) की पंजी (रजिस्टर) या सूची उनमें लिखे हुए निम्नलिखित विषयों में से किसी के लिये भी प्रत्यक्ष साक्ष्य (*prima facie* evidence) मानी जायेगी :—

(क) वह दिनांक जिसको उक्त पंजी (रजिस्टर) या सूची में किसी व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में लिखा गया हो ;

(ख) वह दिनांक जिससे उक्त कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहता।

5. सभाओं की पुस्तकों की प्रविष्टियों का प्रमाण.—किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा की किसी पुस्तक में प्रांवष्ट किसी भी विषय की, व्यवसाय-मध्य नियमित रूप से रखी गई कोई प्रतिलिपि, यदि नियमों द्वारा विहित रीति में प्रमाणित कर दी जाये तो वह किसी भी वाद या वैधानिक कार्यवाहियों में उक्त प्रविष्टि की विद्यमानता के प्रत्यक्ष साक्ष्य (*prima facie* evidence) के रूप में ग्रहण की जायेगी,

और प्रत्येक दशा में, उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेखों के साक्ष्य के रूप में उसी मात्रा तक तथा उसी दशा में मान्य होगी जहां तक और जिस दशा में मूल प्रविष्टि स्वतः मान्य हो।

52. **सदस्य की मृत्यु हो जाने पर स्वत्व का हस्तांतरण.**—(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, कोई पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा, मृत व्यक्ति का हिस्सा (शेयर) या स्वत्व (interest) इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार नामांकित व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर सकेगी या यदि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति नामांकित न हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर सकेगी जो समिति को मृत सदस्य का उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि जान पड़े या स्थितिअनुसार उक्त नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि को उतनी राशि दे देगी जो नियमों या उपविधियों के अनुसार उक्त सदस्य के हिस्से (शेयर) या स्वत्व के निश्चित मूल्य की प्रतिनिधाई हो:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(अ) असीमित दायित्व वाली सभा की दशा में स्थिति अनुसार कोई भी नामांकित व्यक्ति उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि मृत सदस्य के हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) के पूर्वोक्तानुसार निश्चित मूल्य की सभा द्वारा चुकती किए जाने की मांग कर सकेगा ;

(आ) सीमित दायित्व वाली सभा की दशा में सभा मृत सदस्य का हिस्सा (शेयर) या स्वत्व, स्थिति-अनुसार, ऐसे नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि के नाम पर हस्तान्तरित कर देगी जो सभा की सदस्यता के लिये नियमों और उपविधियों के अनुसार योग्य हो, या मृत सदस्य की मृत्यु होने से एक मास के भीतर उसके प्रार्थनापत्र में निर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर देगी जो उक्त रूप से योग्य हो।

(2) कोई पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा ऐसा अन्य समस्त धन, जो उस सभा द्वारा मृत सदस्य को देय हो उसे वह स्थितिअनुसार, उक्त नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि को चुका सकेगी।

(3) इस धारा के उपबन्धानुसार पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा द्वारा किए गए समस्त हस्तांतरण और की गई समस्त चुकतियां, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभा पर की गई किसी मांग के विरुद्ध मान्य और प्रभावपूर्ण होंगी।

53. **पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा के हिस्सों (शेयरों) और ऋणपत्रों (debentures) से सम्बद्ध विलेखों (instruments) को अनिवार्य रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करवाने से विमुक्ति.**—इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Registration Act, 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (b) और (c) का कोई भी उपबन्ध —

(1) पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा के हिस्सों (शेयरों) से सम्बद्ध किसी विलेख (instrument) पर प्रयुक्त नहीं होगा, चाहे उक्त सभा की सकलसम्पत्ति (assets) पूर्णरूपेण या अंशरूपेण अचल सम्पत्ति हो; या

(2) जहां तक कि कोई ऋणपत्र (debenture) किसी ऋणपत्रधारी को ऐसे पंजीकृत विलेख (registered instrument) द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति का अधिकारी बनाता है, जिस

के द्वारा सभा ने अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति या उसका भाग या स्वत्व ऋणपत्रधारियों के लाभार्थ न्यास के न्यासधारियों के पास बन्धक या गिरवी रखा हो या अन्यथा हस्तांतरित किया हो, उसे छोड़ कर, ऐसे किसी भी ऋणपत्र (debenture) पर प्रयुक्त नहीं होगा जो किसी भी उक्त सभा ने जारी किया हो और अचल सम्पत्ति पर या उस में कोई अधिकार, आगम या स्वत्व, उत्पन्न, घोषित, अभिहस्तांकित, सीमित या समाप्त न करता हो; या

(3) उक्त सभा द्वारा दिए गए किसी ऋणपत्र (debenture) के किसी पृष्ठलेख या ऋणपत्र (debenture) के किसी हस्तांतरण पर प्रयुक्त नहीं होगा।

54. सहकारी सभाओं को देय धन सदस्यों के वेतन में से काटना.—यदि सभा के ऐसे सदस्य ने, जो भारत संघ या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में हो सभा से कोई ऋण (loan) लिया हुआ हो और किस्तों में उक्त ऋण वापस करने के लिये लिखित संविदा किया हुआ हो तथा उक्त किस्तें, अपने वेतन में से काट कर वसूल करने का सभा को लिखित रूप में प्राधिकार दिया हो, तो वह व्यक्ति जो उक्त सेवा के सम्बन्ध में उक्त सदस्य को वेतन के रूप में देय कोई राशि बांटता हो, सभा की मांग पर उक्त सदस्य को वेतन के रूप में दी जाने वाली राशि में से उक्त किस्त की राशि काट लेगा और इस प्रकार काटी गई राशि सभा के पास अविलम्ब जमा करा देगा।

55. राज्य शासन की आर्थिक सहायता देने की शक्ति.—तत्काल प्रचलित किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन नियमों के अधीन रहते हुए किसी भी सभा को ऋण दे सकेगा, उसके हिस्से ले सकेगा या किसी अन्य रूप में उसे आर्थिक सहायता दे सकेगा।

56. कुछ सभाओं से उधार लेने वाले सदस्यों की अचल सम्पत्ति पर प्रभार.—इस अधिनियम या तत्काल प्रचलित अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(अ) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के पास कोई भूमि हो, जिसने उस सभा से ऋण लेने के लिए प्रार्थनापत्र दिया हो, जिसका वह सदस्य हो, वह व्यक्ति नियमों द्वारा विहित प्रपत्र में एक घोषणा करेगा। उक्त घोषणा में यह विवरण दिया जाएगा कि इस के द्वारा प्रार्थी पार्थनापत्र के अनुपालन में सभा द्वारा निश्चित अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए सदस्य को दिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा अपेक्षित सभा द्वारा उसको भविष्य में दिए जाने वाले समस्त अग्रिम धन, यदि कोई हो, की उक्त ऋण और अग्रिम धन की राशि के ब्याज सहित चुकती करने के लिए घोषणा में विशिष्ट अपनी भूमि और फसलों पर उसके द्वारा एक भार उत्पन्न करता है;

(आ) हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा अधिनियम, 1955, के प्रचलन के दिनांक से पूर्व जिस किसी व्यक्ति ने ऐसी सभा से ऋण लिया हो, जिसका वह सदस्य हो और उसके पास कोई भूमि या फसलें हों, खण्ड (अ) में निर्दिष्ट अभिप्राय की तथा निर्दिष्ट प्रपत्र में यथासम्भव शीघ्र एक घोषणा करेगा। जब तक वह उक्त घोषणा नहीं करता तब तक उसे सभा के सदस्य के रूप में किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हक नहीं होगा;

(इ) खण्ड (अ) और (आ) के अधीन की गई घोषणा, सदस्य द्वारा उस सभा की

सहमति से जिसके पक्ष में उक्त प्रभार उत्पन्न किया गया हो, किसी भी समय संपरिवर्तित की जा सकेगी ;

(ई) कोई भी सदस्य खण्ड (अ) या (आ) के अधीन की गई घोषणा में विशिष्ट भूमि या फसलों या उनके किसी भाग को तब तक अन्यार्पण (alienate) नहीं करेगा जब तक सदस्य द्वारा लिए गए उधार की समस्त राशि ब्याज सहित पूर्ण रूपेण नहीं चुकाई जाती:

परन्तु उक्त किसी भूमि पर खड़ी फसलें सभा की पूर्वानुमति लेकर अन्यार्पित की जा सकेंगी ;

(उ) खण्ड (ई) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया कोई भी अन्यार्पण (alienation) शून्य होगा ;

(ऊ) किसी ऋण (loan) के कारण देयधन के लिए तथा उतनी राशि तक, जो उसने देनी हो, खण्ड (अ) या (आ) के अधीन की गई घोषणा में ऋण (loan) के सम्बन्ध में विशिष्ट भूमि पर भूराजस्व या भूराजस्व के रूप में वसूल किए जा सकने वाले किसी धन के सम्बन्ध में शासन को पूर्वता (prior claims) देने के पश्चात् सभा को प्रथम प्रभार प्राप्त होगा ;

(ए) अधिकार अभिलेख में, खण्ड (अ) या (आ) के अधीन किसी घोषणा के अन्तर्गत किसी भूमि पर उत्पन्न प्रत्येक प्रभार का ब्योरा अन्तरविष्ट होगा ;

(ऐ) सभा का ऐसा प्रत्येक सदस्य जो सभा से ऋण लेता है, विहित प्रपत्र में इस अभिप्राय की एक घोषणा निष्पादित करेगा कि जब तक ऋण वापस नहीं किया जाता तब तक घोषणा में विशिष्ट भूमि पर उसके द्वारा उगाई गई फसलों के सम्बन्ध में सभा को प्रथम प्रभार प्राप्त होगा।

57. ऋणपत्रों (debentures) के मूल और ब्याज का प्रतिरक्षण (guarantee) करने की राज्य शासन की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किन्हीं ऋणपत्रों (debentures) या ऋणपत्रों (debentures) की किसी श्रेणी या ऋणपत्रों (debenture) के क्रम या ऋणपत्रों (debentures) के किसी विवाद के सम्बन्ध में राज्यशासन—

(क) मूलधन की ऐसी अधिकतम राशि या ब्याज की ऐसी दर (rate) और ऐसी अन्य शर्तों अधीन रहते हुए जो विहित हों ऋणपत्र (debenture) के मूलधन तथा उसके ब्याज का प्रतिरक्षण (guarantee) करेगा ; और

(ख) इन्डियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1882 (Indian Trusts Act, 1882) में किसी बात के होते हुए भी यह घोषणा कर सकेगा कि उक्त ऋणपत्र (debenture) कथित ऐक्ट की धारा 20 में परिगणित (enumerated) प्रतिभूतियों में सम्मिलित समझे जायेंगे।

(2) राज्यशासन के स्पष्ट प्राधिकार के बिना उक्त ऋणपत्र (debenture) जारी नहीं किए जाएंगे।

58. प्रतिरक्षित ऋणपत्र (guaranteed debenture) जारी करना.—(1) जब ऋणपत्र (debentures) जारी करके किसी सभा को ऋण (loan) प्राप्त करने का धारा 57 की उपधारा (2) के उपबन्धाधीन अधिकार दिया गया हो और उन ऋणपत्रों (debentures) का मूलधन और ब्याज उक्त

रूप से प्रतिरक्षित (guaranteed) हो तो ऋणपत्रधारियों के प्रति सभा के आभार पूरे करने के सुनिश्चयन हेतु राज्यशासन न्यासधारी (trustee) का कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

(2) न्यासधारी (trustee) की पूर्वानुमति लेकर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह आरोपित करे, कोई सभा एक या अधिक नामों (denominations) के ऋणपत्र (debentures) ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, सभा की सकलसम्पत्ति (assets) की प्रतिभूति पर जारी कर सकेगी, जिस में ऐसे बन्धक (mortgages) भी सम्मिलित होंगे जो स्वीकृति, अभिहस्तांकन या हस्तांतरण द्वारा उसके पास हों।

(3) उक्त ऋणपत्र (debentures) निम्नलिखित एक या दोनों शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) जारी करने के दिनांक से तीस वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि नियत की जाएगी जिसके मध्य वे अमोचनीय होंगे;

(ख) सभा के लिए यह अधिकार रक्षित किया जायगा कि जारी किए जा चुके कोई भी ऋणपत्र (debentures) मोचन (redemption) के लिए नियत दिनांक से पूर्व किसी भी समय सम्बन्धित ऋणपत्रधारी को लिखित रूप में कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात् और अन्य किसी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए भी जो न्यासधारी (trustee) आरोपित करे, वह वापस मांग सकेगी।

(4) ऐसी समस्त राशि, जो किसी सभा द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों (debentures) [जिन में इस अधिनियम का प्रारम्भ होने से पूर्व जारी किए गए ऋणपत्र (debenture) भी सम्मिलित है] के सम्बन्ध में देय हो तथा जो किसी भी समय चुकाने से शेष रह गई हो, बन्धकों पर देय समस्त राशि, ऐसी राशि, जो उसके अन्तर्गत चुका दी गई हो और सभा या न्यासधारी के पास उक्त समय हो, तथा सभा की तत्समय विद्यमान अन्य सकलसम्पत्ति (assets), जो हस्तांतरण या अभिहस्तांकन द्वारा सभा के कब्जे में हो, के मूल्य के योग से अधिक नहीं बढ़ेगी।

(5) जब मोचन (redemption) के लिए नियत दिनांक से पूर्व सभा ने कोई ऋणपत्र (debenture) मांगा हो तो सभा को न्यासधारी (trustee) को पूर्वानुमति लेकर ऋणपत्र (debenture) को रद्द करने और चुकाए गए या अन्य प्रकार से पूर्ण या समाप्त किए गए ऋणपत्र (debenture) के स्थान पर कोई नया ऋणपत्र (debenture) जारी करने, या उसी ऋणपत्र (debenture) को फिर से जारी करने या उसके स्थान पर एक अन्य ऋणपत्र (debenture) जारी करके, ऋणपत्र (debenture) पुनः जारी करने की शक्ति होगी और इस प्रकार पुनः जारी किए गए ऋणपत्र (debenture) के आधार पर उक्त ऋणपत्र (debenture) के अधिकारी को वही अधिकार और पूर्वाधिकार, यदि कोई हों, प्राप्त होंगे तथा सर्वथा प्राप्त समझे जायेंगे मानो कि ऋणपत्र (debenture) पहले जारी नहीं किया गया था।

59. न्यासधारी (trustee) एकाकी निगम (corporation sole) होगा.—धारा 58 के अधीन नियुक्त न्यासधारी (trustee) उन ऋणपत्रों (debentures) के लिए जिनके सम्बन्ध में उसकी नियुक्ति हुई हो, न्यासधारी (trustee) के नाम से एक एकाकी निगम (corporation sole) होगा और

इस रूप में उसे शाश्वत् उत्तराधिकार प्राप्त होगा और उस की एक सामान्य मुहर होगी तथा वह इस नाम से वाद चलाएगा और इस नाम से उस पर वाद चलाया जायगा।

60. न्यासधारियों (trustees) की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य.—(1) न्यासधारी (trustee) की शक्तियां और कर्त्तव्य इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा तथा सभा और न्यासधारी (trustee) के मध्य निष्पादित न्यास के विलेख (instrument) द्वारा प्रशासित होंगे।

(2) उक्त विलेख (instrument) का प्रारूप और ऐसा कोई संपरिवर्तन, जो उसके निष्पादन के पश्चात् पारस्परिक सहमति से उसके पक्ष उसके किसी निबन्ध (terms) में रखना चाहें, राज्यशासन की पूर्वानुमति के प्रतिबन्धाधीन होगा।

61. सकलसम्पत्ति (assets) पर ऋणपत्रधारियों का प्रभार.—धारा 58 की उपधारा (2) के उपबन्धाधीन ऋणपत्र (debenture) जारी कर दिए जाने पर, सभा की सकलसंपत्ति (assets) जिसमें ऐसे कोई बन्धक भी सम्मिलित हैं, जो स्वीकृति, अभिहस्तांकन या हस्तांतरण द्वारा सभा के पास हों, न्यासधारी (trustee) में निहित होगी और ऋणपत्रधारियों को उक्त समस्त सकलसम्पति (assets) जिस में वह राशि भी सम्मिलित है, जो उक्त बन्धकों के अन्तर्गत चुकाई गई हो और न्यासधारी (trustee) या सभा के पास शेष हो तथा सभा की सम्पत्ति पर चल प्रभार (floating charge) प्राप्त होगा।

62. मांगों (claims) का विवरणपत्र मंगवाने की सहकारी सभा की शक्ति. - (1) जब ऐसी किसी सभा का सदस्य, जिसके उद्देश्यों में अपने सदस्यों को ऋण देना सम्मिलित हो, ऋण लेने के लिए प्रार्थनापत्र दे या जब कोई व्यक्ति उक्त सभा का सदस्य बनने के लिए प्रार्थनापत्र दे तो सभा प्रार्थनापत्र में नामांकित ऋणदाता या अनुवर्ती परिपृच्छा के पश्चात् निश्चित किसी ऋणदाता को, विहित रीति से सूचना (notice) दे सकेगी तथा समस्त ऋणदाताओं के लिए एक सामान्य सूचना (general notice) भी प्रकाशित कर सकेगी जिसमें उस से या उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह या वे विहित प्रपत्र में तथा सूचना में निर्दिष्ट अवधि में अपनी मांग का लिखित विवरण प्रदान करें।

(2) जब ऐसी सभा का सदस्य, जिसके उद्देश्यों में अपने सदस्यों को ऋण देना सम्मिलित हो, सभा से अन्य किसी व्यक्ति से ऋण लेने का विचार करे तो उक्त सदस्य निम्नलिखित विवरण देते हुए सभा को एक लिखित सचना (notice) भेजेगा:—

(क) उक्त ऋण के लिए प्रार्थनापत्र देने की अपनी इच्छा,

(ख) ऋण की वह राशि, जो वह लेना चाहता हो, और

(ग) ऋण लेने का उद्देश्य।

63. परिसीमा.—(1) इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Limitation Act, 1908) के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी राशि, जो किसी सभा के सदस्य ने

उसे देनी हो तथा उसके ब्याज की वसूली के लिए वाद चलाने की परिसीमावधि उस दिनांक से गिनी जायगी, जिसको उक्त सदस्य की मृत्यु हुई हो या जब से वह सभा का सदस्य न रहा हो।

(2) इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Limitation Act, 1908) के उपबन्ध इस अधिनियम की धारा 87 के अधीन की गई कार्यवाहियों पर प्रयुक्त नहीं होंगे।

64. ऐसे व्यक्तियों पर जलकर (water-rate) लगाना, जो सदस्य न हों.—(1) जिस सभा का उद्देश्य अपने सदस्यों की कृष्य भूमि को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना हो वह सभा किसी भी सिंचनस्रोत (source of irrigation) से सिचनयोग्य क्षेत्र को सीमांकित करने के लिए कलेक्टर से विहित प्रपत्र में प्रार्थना कर सकेगी।

(2) उक्त क्षेत्र "सिंचनयोग्य क्षेत्र" कहलायगा।

(3) कलेक्टर उक्त प्रार्थनापत्र मिलने पर, विहित रीति से सूचना देने के पश्चात् अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा सींचनयोग्य क्षेत्र का एक मानचित्र और उस में सम्मिलित कृष्य भूमि का एक विवरण, विहित रीति से तैयार करवाएगा, और उक्त मानचित्र, तथा विवरणपत्र विहित रीति से प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) यदि उक्त सभा के सदस्यों की ऐसी भूमि, जिस पर, सदस्यों का कब्जा हो सिंचनयोग्य क्षेत्र में सम्मिलित कृष्य भूमि के साठ प्रतिशत से अधिक हो तो उक्त सभा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति पर जल कर लगा सकेगी, जो सभा का सदस्य न हो तथा जिस के पास उक्त क्षेत्र में ऐसी कृष्य भूमि हो जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट सिंचन सुविधाओं से लाभ पहुँचता हो।

(5) उक्त जल कर, ऐसी रीति से वसूलीयोग्य होगा, जो किसी सभा को उसके सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों द्वारा देय किसी राशि की वसूली के लिए इस अधिनियम में व्यवस्थित है।

65. ऐसे व्यक्तियों पर तटबन्द रक्षा कर (embankment protection rate) लगाना जो सदस्य न हों.—(1) जिस सभा का उद्देश्य अपने सदस्यों की भूमि को तटबन्दी-रक्षा की सुविधाएं प्रदान करना हो वह सभा किसी भी तटबन्द द्वारा रक्षित क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए कलेक्टर से विहित प्रपत्र में प्रार्थना कर सकेगी।

(2) उक्त क्षेत्र "रक्षित क्षेत्र" कहलाएगा।

(3) कलेक्टर उक्त प्रार्थनापत्र मिलने पर, विहित रीति से सूचना देने के पश्चात् अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा रक्षित क्षेत्र का एक मानचित्र और उस में सम्मिलित भूमि का एक विवरण विहित रीति से तैयार करवाएगा और उक्त मानचित्र तथा विवरण की प्रतिलिपियां विहित रीति से प्रकाशित करायी जाएंगी।

(4) यदि उक्त सभा के सदस्यों की ऐसी भूमि, जिस पर सदस्यों का कब्जा हो, रक्षित क्षेत्र में

सम्मिलित भूमि के साठ प्रतिशत् से अधिक हो तो उक्त सभा उस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति पर तटबन्द रक्षा कर (embankment protection rate) लगा सकेगी, जो सभा का सदस्य न हो तथा जिस के पास उक्त क्षेत्र में भूमि हो।

(5) उक्त तटबन्द रक्षा कर (embankment protection rate), ऐसी रीति से वसूलीयोग्य होगा जो सभा को उसके सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों द्वारा देय किसी राशि की वसूली के लिए इस अधिनियम में व्यवस्थित है।

66. आय कर से विमुक्त करने की शक्ति.—केन्द्रीय शासन भारतीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा या पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभाओं की किसी श्रेणी की दशा में सभा के लाभ पर देय या ऐसे लाभांशों (dividends) या ऐसी अन्य राशियों पर देय आय कर विमुक्त कर सकेगा, जो सभा के सदस्यों ने लाभ होने की दशा में प्राप्त की हों।

67. कुछ शुल्कों (duties), फीसों इत्यादि से विमुक्ति.— (1) राज्य शासन किसी सभा या सभाओं की श्रेणी की दशा में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तत्काल प्रचलित किसी विधि या उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अधीन देय किसी भी ऐसे कर (tax), उपकर (cess) या फीस (fees) को विमुक्त कर सकेगा जिस के सम्बन्ध में राज्य शासन उक्त कर (tax), उपकर (cess), या फीस (fees) विमुक्त करने के लिये सक्षम हो।

(2) किसी भी सभा या सभाओं की श्रेणी के सम्बन्ध में राज्यशासन राजपत्र में अधिसूचना दे कर—

(क) किसी सभा द्वारा या उस की ओर से या उसके पक्ष में अथवा उसके पदाधिकारी द्वारा या उसके सदस्य की ओर से निष्पादित तथा उक्त सभा के व्यवसाय से सम्बन्धित किसी विलेख (instrument) का मुद्रांक शुल्क (stamp duty) उन अवस्थाओं में विमुक्त कर सकेगा जहां उक्त विमुक्ति के अभाव में, स्थिति-अनुसार, निष्पादक (executor) उक्त विलेख (instrument) के सम्बन्ध में किसी भी तत्काल प्रचलित विधि के अधीन प्राप्य मुद्रांक शुल्क (stamp duty) चुकाने का उत्तरदायी हो; और

(ख) तत्काल प्रचलित किसी विधि के अधीन सभा द्वारा प्रलेखों के पंजीयन के लिए देय फीस विमुक्त कर सकेगा।

68. सदस्यता से निकाले हुए, सदस्यता त्यागने वाले या विकृत मस्तिष्क वाले सदस्य के हिस्सों (shares) या स्वत्व की व्यवस्थापना.—जब सभा का कोई सदस्य नियमों या उपविधियों के अनुसार निकाल दिया जाए, सदस्यता त्याग दे या जब किसी सदस्य का मस्तिष्क विकृत हो जाए तो :—

(क) उस का हिस्सा या स्वत्व धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार हस्तांतरगृहीता होने के योग्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाएगा और नियमानुसार निश्चित उस का मूल्य उक्त सदस्य को चुका दिया जाएगा या यदि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया हो तो इंडियन लूनेसी ऐक्ट, 1912 (Indian Lunacy Act, 1912) के अधीन उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को चुका दिया जाएगा, या

(ख) असीमित दायित्व वाली सभा की दशा में, यदि उपविधियों में ऐसी कोई व्यवस्था हो, तो नियमानुसार निश्चित उसके हिस्से या स्वत्व का मूल्य उसे चुका दिया जाएगा, यदि

उसका मस्तिष्क विकृत हो तो इंडियन लुनेसी ऐक्ट, 1912 (Indian Lunacy Act, 1912) के अधीन उस की सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को चुका दिया जाएगा।

69. मृत, सदस्यता से निकाले हुए, सदस्यता त्यागने वाले या विकृत मस्तिष्क वाले सदस्य को देय धन की व्यवस्थापना.—ऐसी समस्त राशियां, जो नियमों के अनुसार किसी सभा द्वारा किसी सदस्य को देय आगणित हों, उक्त सदस्य के हिस्से या स्वत्व (share or interest) के सम्बन्ध में सभा को देय अन्य चुकतियों को छोड़ कर, धारा 48 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए :—

(क) मृत सदस्य की दशा में उस व्यक्ति को दे दी जाएंगी जिसे धारा 52 के उपबन्धानुसार हिस्से (share) और स्वत्व हस्तांतरित हुए हों या उनका मूल्य चुकाया गया हो ;

(ख) ऐसे सदस्य की दशा में, जिसे सभा से निकाल दिया गया हो या जिसने सभा से त्यागपत्र दे दिया हों, उसे दे दी जाएंगी ; और

(ग) ऐसे सदस्य की दशा में, जिस का मस्तिष्क विकृत हो गया हो, इंडियन लुनेसी ऐक्ट, 1912 (Indian Lunacy Act, 1912) के अधीन उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को दे दी जाएगी।

70. सहकारी सभाओं को देय उधार प्रथम प्रभार होंगे.—कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की धारा 60 और 61 में किसी बात के होते हुए भी किन्तु भूराजस्व या भूराजस्व के रूप में वसूलीयोग्य राशि या सार्वजनिक मांग (public demand) के रूप में वसूलीयोग्य राशि के सम्बन्ध में राज्यशासन की किसी मांग के अधीन रहते हुए अथवा लगान (rent) या लगान के रूप में वसूलीयोग्य किसी राशि के सम्बन्ध में भूमिपति की मांग (claim) के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा द्वारा सहकारी सभा को देय ऋण (loan) या बकाया राशि (debt or outstanding demand)—

(क) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि बीज, खाद, श्रम सहायता (labour subsistence), पशु के लिए चारे अथवा कृषि-कर्म करने से आनुषंगिक (incidental) अन्य वस्तुओं के प्रदाय या उनकी चुकती करने के हेतु लिए हुए किसी ऋण (loan) के सम्बन्ध में देय हो, तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा को फसलों या कृषि-उपज पर उस दिनांक से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय प्रथम प्रभार होगी, जब उक्त प्रदाय या ऋण (loan) की अंतिम किस्त वापस चुकाई जानी चाहिए थी ;

(ख) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि सिंचन-सुविधाओं (irrigation facilities) के प्रदाय या उनकी चुकती करने के हेतु लिए हुए किसी ऋण (loan) के सम्बन्ध में देय हो, तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा की फसलों या कृषि-उपज पर या उस भूमि की कृषि-उपज पर, जिसे उक्त रूप से सिंचन सुविधाएं दी गई हों, उस दिनांक से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय प्रथम प्रभार होगी, जब उक्त प्रदाय या ऋण (loan) की अंतिम किस्त वापस चुकाई जानी चाहिए थी ;

(ग) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि, उपरोक्त रीति में और मात्रा तक, पशु, कृषि-उपज के संग्रहण के लिए गोदाम के प्रदाय या उनकी खरीद करने के हेतु लिए

हुए किसी ऋण (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा की फसलों या कृषि-उपज पर तथा उक्त ऋण (loan) से पूर्णरूपेण या अंशरूपेण खरीदे हुए या प्रदत्त पशु, कृषि-उपकरणों या गोदाम पर भी प्रथम प्रभार होगी ;

(घ) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि कच्चे माल (raw material), औद्योगिक उपकरणों, मशीनरी, वर्कशाप, गोदाम या व्यवसाय-स्थान (business premises) के प्रदाय या उनकी खरीद करने के हेतु लिए हुए किसी ऋण (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा उक्त ऋण (loan) से पूर्णरूपेण या अंशरूपेण प्रदत्त या खरीदे हुए कच्चे माल या अन्य वस्तुओं पर तथा उक्त ऋण (loan) से पूर्णरूपेण या अंशरूपेण प्रदत्त या खरीदे हुये कच्चे माल या उपकरणों या मशीनरी द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर भी प्रथम प्रभार होगी ;

(च) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि भूमि की खरीद या मोचन (redemption) के हेतु लिए हुए किसी ऋण (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा उक्त ऋण (loan) से खरीदी हुई या मोचित (redeemed) भूमि पर प्रथम प्रभार होगी ; और

(छ) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि किसी मकान या भवन या उन के किसी भाग की मरम्मत करने या उनकी खरीद करने या उक्त निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करने के हेतु लिए हुए किसी ऋण (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा उक्त ऋण (loan) या सामग्री से निर्मित या खरीदे हुए मकान या भवन पर प्रथम प्रभार होगी।

अध्याय 8

निरीक्षण तथा लेखा परीक्षण

71. रजिस्ट्रार का लेखा-परीक्षण के लिए उत्तरदायी होना.—(1) प्रत्येक सहकारी सभा के लेखे की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और उस दिनांक तक जो विहित किया जाए रजिस्ट्रार द्वारा या उसके सामान्य या विशेष लिखित आदेश से इस हेतु प्राधिकृत किसी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षण किया जाएगा।

(2) लेखा-परीक्षण के सम्बन्ध में सहकारी सभा लेखा-परीक्षण के लिए विहित फीस देगी, यदि कोई हो।

72. रजिस्ट्रार की लेखों को पूरा करवाने की शक्ति.—यदि लेखा-परीक्षण के समय सहकारी सभा के लेखे पूरे न हों तो रजिस्ट्रार या लेखा-परीक्षक सभा के व्यय पर लेखों को पूरा करवा सकेगा।

73. लेखा-परीक्षण का प्रकार.—(1) धारा 71 के अधीन लेखा-परीक्षण के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय होंगे —

(क) नकद बकाया और प्रतिभूतियों का सत्यापन (verification) ;

(ख) जमा कराने वाले व्यक्तियों (depositers) तथा ऋणदाताओं (creditors) के खाते में बकाया राशि का तथा सभा से उधार लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्य राशि का सत्यापन ;

(ग) समयोतर ऋणों (overdue debts), यदि कोई हों, की जांच ;

(घ) सभा की सकलसम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) का मूल्यांकन ;

(च) सभा के व्यवहारों, जिसमें धन सम्बन्धी व्यवहार सम्मिलित हैं, की जांच ;

(छ) ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाए, प्रबन्धक समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखा विवरण की जांच ;

(ज) प्राप्त लाभों का प्रमाणीकरण ; और

(झ) अन्य ऐसा विषय, जो विहित किया जाए ।

(2) इस प्रकार से परीक्षित लेखा-विवरण ऐसे संपरिवर्तन सहित, यदि कोई हो, जो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने उसमें किया हो, अंतिम होगा और सहकारी सभा पर बाध्य होगा ।

74. लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन.—लेखा-परीक्षक परीक्षित लेखा-विवरण सहित लेखा-परीक्षण का प्रतिवेदन (audit report), जिसमें निम्नलिखित विषयों के विवरण सम्मिलित होंगे, उस दिनांक तक जो विहित किया जाए, सहकारी सभा तथा रजिस्ट्रार को भेजेगा : —

(क) प्रत्येक ऐसा व्यवहार (transaction), जो उसे विधि या नियमों या उपविधियों के प्रतिकूल प्रतीत हो ;

(ख) प्रत्येक ऐसी राशि, जो लेखे में दिखाई जानी चाहिए थी परन्तु दिखाई न गई हो ;

(ग) किसी प्रकार की ऐसी कमी या हानि का परिमाण, जिसके सम्बन्ध में यह प्रतीत हो कि वह असावधानी या दुराचार के परिणामस्वरूप हुई है या जिसके सम्बन्ध में पुनः जांच करने की आवश्यकता प्रतीत हो;

(घ) सभा की ऐसी धनराशि या सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने उसका दुरुपयोग किया है या उसे छलपूर्वक अपने पास रखा है ;

च) कोई भी सकलसम्पत्ति जो उसे ठीक प्रतीत न हो या संदिग्ध प्रतीत हो; और

(छ) ऐसा अन्य कोई विषय, जो विहित किया जाए ।

75. त्रुटियों का सुधार.—रजिस्ट्रार सहकारी सभा को, लेखा-परीक्षक द्वारा निकाली गई किन्हीं त्रुटियों या अनियमताओं को स्पष्ट करने का अवसर देगा और उसके पश्चात् सभा रजिस्ट्रार द्वारा निदेशित अवधि में तथा रीति से उक्त त्रुटियों और अनियमितताओं को ठीक करेगी और इस सम्बन्ध में वह जो कार्यवाही करे उसका प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को देगी ।

76. रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण.—रजिस्ट्रार समय समय पर किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा का स्वयं निरीक्षण कर सकेगा, या इस हेतु अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उक्त सभा का निरीक्षण करवा सकेगा ।

77. रजिस्ट्रार द्वारा परिपृच्छा.—(1) रजिस्ट्रार स्वयं या इस हेतु लिखित रूप से उसके द्वारा विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति सभा के संरचना कार्यक्रम (constitution working) और वित्तीय स्थिति की परिपृच्छा कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार.—

(क) ऐसी सभा की मांग करने पर, जिसे इस हेतु बनाए गए नियमों द्वारा उक्त मांग करने का विधिपूर्वक प्राधिकार प्राप्त हो, उसके किसी एक सदस्य के सम्बन्ध में, यदि वह सदस्य कोई सभा हो,

(ख) सभा की समिति के बहुमत के प्रार्थनापत्र पर ;

(ग) सभा के एक तिहाई सदस्यों के प्रार्थनापत्र पर,

ऐसी परिपृच्छा करेगा, जो इस धारा की उपधारा (1) में अनुकल्पित है ।

(3) सभा के समस्त पदाधिकारी तथा सदस्य, जिनके मामलों की जांच की गई हो, रजिस्ट्रार को या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी सूचना देंगे, जो सभा के मामलों के सम्बन्ध में उनके कब्जे में हो और रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने मांगी हो ।

(4) इस धारा के अधीन की गई परिपृच्छा का परिणाम उस सभा को भेजा जाएगा, जिसके मामलों की जांच की जा चुकी हो ।

78. निरीक्षण या परिपृच्छा का व्यय.—रजिस्ट्रार पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लिखित आदेश द्वारा, जिसमें वह आदेश देने के कारणों का उल्लेख करेगा, धारा 79 के अधीन किए गए निरीक्षण या धारा 77 के अधीन की गई परिपृच्छा के व्यय का या व्यय के ऐसे भाग का, जो वह उचित समझे, अभिभाजन, स्थितिअनुसार, उक्त निरीक्षण या परिपृच्छा की प्रार्थना करने वाली सहकारी सभा, उसके सदस्यों या वित्त प्रबन्धक अधिकोष या ऋणदाता या ऋणदाताओं और सभा के पदाधिकारियों, भूतपूर्व पदाधिकारियों, सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के मध्य कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध सभा से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपील का व्यय किसी भी सहकारी सभा की निधि में से वहन नहीं किया जाएगा ।

79. ऋणग्रस्त सहकारी सभा की पुस्तकों का निरीक्षण.—(1) उपधारा (2) के उपबन्धाधीन सहकारी सभा के ऋणदाता के प्रार्थनापत्र पर सभा की पुस्तकों का निरीक्षण रजिस्ट्रार द्वारा या इस हेतु उसके सामान्य या विशेष लिखित आदेश से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

(2) उक्त कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(क) सभा को सुनवाई का अवसर देने के बाद रजिस्ट्रार का समाधान न हो जाए कि कथित ऋण (debt) उस समय देय राशि है और ऋणदाता ने उसकी चुक्ती की मांग की है और उचित समय के अन्दर वह पूरी नहीं की गई है; और

(ख) ऋणदाता रजिस्ट्रार के पास निरीक्षण के व्यय के लिए प्रतिभूति के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा निदेशित राशि जमा न कर दे ।

(3) रजिस्ट्रार इस धारा के अधीन किसी भी निरीक्षण का परिणाम ऋणदाता, सभा और ऐसे वित्त प्रबन्धक अधिकोष, यदि कोई हो, को भेजेगा जिसकी सदस्यता में वह सभा सदस्य हो।

80. ऐसी त्रुटियां, जो परिपृच्छा या निरीक्षण से प्रकट हुई हों, रजिस्ट्रार द्वारा सभा के ध्यान में लाई जाएंगी.— (1) यदि धारा 77 के अधीन की गई परिपृच्छा या धारा 76 के अधीन किए गए निरीक्षण से सभा के कारोबार में किसी प्रकार की त्रुटियां प्रकट होती हैं तो रजिस्ट्रार उक्त त्रुटियों को सभा के ध्यान में लाएगा और यदि सभा संघीय सभा (federal society) या वित्त प्रबन्धक संस्था (financing institution) की सदस्य हो तो संघीय सभा (federal society) या वित्त-प्रबन्धक संस्था (financing institution) के ध्यान में भी लायेगा। सभा या उसके पदाधिकारी या संघीय सभा (federal society) या वित्त प्रबन्धक संस्था (financing institution) को भी निदेश देते हुए रजिस्ट्रार आदेश में विशिष्ट अवधि में त्रुटियों को सुधारने के लिए ऐसी कार्यवाही करने का आदेश देगा, जो उसमें विशिष्ट की जाए।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध संघीय सभा (federal society) या वित्त प्रबन्धक संस्था (financing institution) या सम्बद्ध सभा ऐसी अवधि में, जो आदेश में त्रुटियों को सुधारने के लिए विशिष्ट हो, उसमें विशिष्ट अवधि के भीतर राज्यशासन के पास अपील कर सकेगी।

(3) राज्यशासन अपील का निर्णय करते हुए रजिस्ट्रार का आदेश शून्य कर सकेगा, उसे उलट सकेगा, उसमें संपरिवर्तन कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगा।

81. रजिस्ट्रार की कर्तव्य भ्रष्ट प्रवर्तकों आदि (deliquent promotors etc.) के विरुद्ध क्षति निर्धारण करने की राशि.—(1) जहां धारा 71 के अधीन लेखा-परीक्षण करते समय या धारा 77 के अधीन परिपृच्छा करते समय या धारा 76 के अधीन निरीक्षण करते समय या सभा का समापन करते समय यह प्रतीत हो कि ऐसे व्यक्ति ने, जिसने किसी सभा के संगठन या प्रबन्ध में भाग लिया हो या सभा के किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान सभापति, सचिव या उसकी प्रबन्धक समिति के सदस्य या पदाधिकारी ने सभा की किसी धनराशि या सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है या उसे अपने पास रखा है या उसके लिए वह उत्तरदायी हो गया है या उसने उस का हिसाब देना है या अपकृति (misfeasance) का दोषी रहा है या सभा के साथ विश्वासघात करने का दोषी रहा है तो रजिस्ट्रार लेखापरीक्षण या परिपृच्छा या निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी, या विगणिक (liquidator) या किसी ऋणदाता, या अंशदाता (contributor) के प्रार्थनापत्र पर उक्त व्यक्तियों के आचरण की जांच कर सकेगा और सम्बद्ध व्यक्ति को अपनी सफाई प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह क्रमशः धन या सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ऐसी दर (rate) पर आगणित ब्याज सहित, जो रजिस्ट्रार उचित समझे, वापस चुकाए या उसकी पूर्ति करे या सभा की सकलसम्पत्ति (assets) में ऐसी राशि अंशदान के रूप में दे जो दुरुपयोग (mis-application), धन या सम्पत्ति अपने पास रखने, अपकृति (misfeasance) या विश्वासघात की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार उचित समझे।

(2) यह धारा उस अवस्था में भी प्रयुक्त होगी जब कि अपराधी व्यक्ति कर्म के लिए दंड्य रूप से उत्तरदायी हो।

अध्याय 9

कृषि-सभाएं

82. प्रारम्भिक प्रक्रिया.—(1) कृषि की किसी योजना में अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति एक कृषि-सभा का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करने के लिये रजिस्ट्रार को प्रार्थनापत्र दे सकेंगे, यह प्रार्थनापत्र धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार दिया जाएगा और इस में योजना से प्रभावित क्षेत्र विशिष्ट होगा । इसके साथ निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे :—

(क) उक्त योजना का विस्तृत वर्णन और उसके व्यय का अनुमान;

(ख) योजना में सम्मिलित की जाने वाली भूमियों के उन स्वामियों के नाम जिन्हों ने योजना बनाने में अपनी सहमति (consent) दे दी हो और;

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे, जो नियमों द्वारा विहित हों ।

(2) प्रार्थनापत्र संलग्न पत्रों सहित उस ग्राम या उन ग्रामों में और उस तहसील के मुख्यावास (headquarters) में प्रकाशित किया जाएगा जिनकी सीमाओं में वे भूमियां स्थित हों जिन्हें योजना में समाविष्ट करने का विचार हो ।

(3) उक्त सभाओं के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार और कृषि संचालक (डायरेक्टर ऑफ ऐग्रीकल्चर) को मिला कर राज्यशासन, एक पर्षद् (बोर्ड) बनाएगा । यह उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रार्थनापत्र पर विचार करेगी और उसका निश्चय करेगी । पर्षद् (बोर्ड) इस सम्बन्ध में निश्चयार्थ उत्पन्न विषयों के लिये एक परिपृच्छा अधिकारी (enquiry officer) नियुक्त कर सकेगी और उस से प्रतिवेदन (report) ले सकेगी । यदि इस अध्याय के उपबन्धों या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विषय के सम्बन्ध में पर्षद् (बोर्ड) के सदस्यों में मतभेद हो तो ऐसा विषय राज्यशासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका निर्णय राज्यशासन के निश्चयानुसार किया जाएगा ।

83. पर्षद् योजना में संपरिवर्तन करके या संपरिवर्तन के बिना उसे स्वीकार कर सकेगी या स्वीकृति देने से इन्कार कर सकेगी—उक्त परिपृच्छाओं के उपरान्त और विहित रूप में पर्षद् (बोर्ड) कलेक्टर के परामर्श से ऐसी परिपृच्छा करने के उपरान्त, जो वह उचित समझे, या तो योजना को संपरिवर्तन सहित या संपरिवर्तन के बिना स्वीकार कर सकेगी या स्वीकृति देने से इन्कार कर सकेगी ।

(2) यदि कोई अपील की गई हो तो उस पर दिये गए निर्णय के प्रतिबन्धाधीन, पर्षद् द्वारा स्वीकृत रूप में योजना राजपत्र में और अन्य ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी, जो विहित की जाए, और उक्त प्रकाशन हो जाने पर वह अन्तिम हो जाएगी ।

8 . योजना का प्रभाव.—जिस दिन स्वीकृत रूप में धारा 83 के अधीन योजना प्रकाशित होती है उस दिन से वह प्रचलित हो जाएगी और उसमें समाविष्ट भूमियों के समस्त स्वामियों को चाहे वे कृषि-सभा के सदस्य हों या न हों, ऐसे अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और वे ऐसे दायित्वों के अधीन हो जायँगे, जो योजना के अधीन उन्हें प्रदत्त या उन पर आरोपित हों ।

85. योजना प्रचलित करने की शक्ति.—उस दिन या उसके पश्चात्, जब योजना प्रचलित होती है, सम्बद्ध कृषि सभा विहित सूचना (notice) देने के पश्चात् और योजना के उपबन्धों के अनुसार ऐसे किसी भी कर्म को निष्पादित कर सकेगी जिसे योजना के अधीन निष्पादित करना किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य हो। इस धारा के अधीन यदि सभा ने कोई व्यय वहन किया हो तो वह उन व्यक्तियों से धारा 101 में विहित रीति से वसूल किया जाएगा, जिन्होंने वह न चुकाया हो।

86. योजना के व्यय में अंशदान.—(1) योजना का व्यय पूर्णरूपेण या अंशरूपेण योजना से प्रभावित भूमि के प्रत्येक स्वामी के अंशदान से पूरा किया जाएगा, जिसका निश्चय सभा करेगी। इस में वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसने पर्षद् (बोर्ड) के निश्चय के अनुसार कृषि-सभा का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया हो।

(2) योजना से प्रभावित भूमि का स्वामी उक्त भूमि के सम्बन्ध में आरोप्य अंशदान की चुकती के लिये प्रथमरूपेण उत्तरदायी होगा।

अध्याय 10

विवादों का निश्चय

87. विवाद (disputes) रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किए जाएंगे.—सभा के व्यवसाय (business) पर प्रभाव डालने वाला या सभा के विगणिक का कोई भी विवाद (dispute) सभा द्वारा (सभा की प्रबन्धक समिति द्वारा सभा के वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की गई अनुशासक कार्यवाही से सम्बन्धित विवाद को छोड़ कर) रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाएगा, यदि उभय पक्ष निम्नलिखित में से हों, अर्थात्—

(क) सभा, उसकी प्रबन्धक-समिति (managing committee) सभा का भूतपूर्व या विद्यमान पदाधिकारी, अभिकर्ता (agent) या कर्मचारी या विगणिक (liquidator), या

(ख) सभा के सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा मांग करने वाला सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या वर्तमान सदस्य, या

(ग) सभा के सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का प्रतिभू चाहे वह प्रतिभू (surety) सभा का सदस्य हो या न हो; या

(घ) अन्य कोई सभा या उक्त सभा का विगणिक (liquidator)।

88. विवादों का निश्चय.—(1) धारा 87 के अधीन कोई निर्दिष्ट विषय प्राप्त होने पर नियमों के प्रतिबन्धाधीन रजिस्ट्रार—

(क) स्वयं विवाद का निर्णय करेगा, या

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त एक या अधिक विवाचकों के निर्णयार्थ इसे निर्दिष्ट करेगा।

(2) नियमों के प्रतिबन्धाधीन रजिस्ट्रार उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी भी निर्देशन (reference) को वापस ले सकेगा और इस्सा निश्चय उक्त नियमों में व्यवस्थित रीति से स्वयं कर सकेगा।

89. कुछ परिनिर्णयों (awards) की शक्ति और प्रभाव.—जहां विवाद में सांपार्श्विक प्रतिभूति (collateral security) के रूप में गिरवी रखी हुई सम्पत्ति (property pledged) सन्निहित हो, उस दशा में विवाद का निश्चय करने वाला व्यक्ति एक परिनिर्णय दे सकेगा (may issue an award), जिस की शक्ति और प्रभाव ऐसे दीवानी न्यायालय की बन्धक सम्बन्धी अन्तिम डिक्री (final mortgage decree) के समान होगा, जो ऐसी डिक्री देने में क्षेत्राधिकारसम्पन्न हो।

90. परिनिर्णय (award) से पूर्व कुर्की (attachment).—जहां कोई विवाद धारा 87 के अधीन रजिस्ट्रार को या धारा 88 के खण्ड (ख) के अधीन विवाचनार्थ (for arbitration) निर्दिष्ट हुआ हो उस दशा में, स्थितिअनुसार, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति (nominee) या विवाचकगण, यदि परिपृच्छा करने पर या अन्यथा उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसे विवाचन (arbitration) का कोई पक्ष किसी सम्भाव्य परिनिर्णय (award) के निष्पादन में देरी करने या बाधा डालने के अभिप्राय से —

(क) यदि अपनी समस्त सम्पत्ति या उस का कोई भाग बेचने वाला हो, या

(ख) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से हटाने वाला हो,

तो वह, जब तक पर्याप्त प्रतिभूति (security) न दे दी जाए, उक्त सम्पत्ति की सप्रतिबन्ध कुर्की (conditional attachment) का निदेश दे सकेगा और ऐसी कुर्की (attachment) इसी प्रकार प्रभावी होगी मानो वह सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा की गई हो।

91. आदेश का अन्तिम होना.—धारा 87 या 88 के अधीन विवाचकों के परिनिर्णय या रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति के निश्चय पर किसी भी दीवानी या माल न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जा सकेगी।

92. सम्पत्ति के ऐसे वैयक्तिक हस्तांतरण, जो प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् किए गए हों, सभा के विरुद्ध शून्य होंगे.—धारा 100 के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या विगणिक (liquidator) का प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् सम्पत्ति का हस्तांतरण या सम्पत्ति-अर्पण (delivery of property) या उस पर किया गया या व्युत्पन्न भारबोध या प्रभार उस सभा के विरुद्ध अभिशून्य (null and void) होगा, जिसके प्रार्थनापत्र पर उक्त प्रमाणपत्र जारी हुआ हो।

93. ऐसी सम्पत्ति का हस्तांतरण, जो बेची न जा सके.—(1) जब धारा 100 के अधीन निष्पादित किए जाने वाले किसी आदेश के निष्पादन में खरीदारों के अभाव में सम्पत्ति बेची न जा सकती हो तो यदि उक्त सम्पत्ति बाकीदार के कब्जे में हो या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में हो या धारा 100 या 101 के अधीन रजिस्ट्रार या विगणिक (liquidator)

का प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात बाकीदार द्वारा नियत किसी आगम (title) के अधीन मांग करने वाले व्यक्ति के कब्जे में हो तो न्यायालय या, स्थितिअनुसार, कलेक्टर रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति से यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग उस सभा को हस्तांतरित कर दिया जाए जिस ने उपरोक्त आदेश के निष्पादन की प्रार्थना की हो और यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति या भाग विहित रीति से सभा को अर्पित (delivered) कर दिया जाए।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, तथा ऐसे किन्हीं अधिकारों, भारारोधों, प्रभारों या समन्यायों (equities) के अधीन रहते हुए, जो किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में वैध रूप से विद्यमान हों, उक्त सम्पत्ति या उसका भाग ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उक्त सभा द्वारा अपने पास रखा जाएगा जो न्यायालय या स्थितिअनुसार कलेक्टर तथा उक्त सभा के मध्य स्वीकार हुए हों।

94. सभा और उसके ऋणदाताओं (creditors) को आपस में समझौता करने की स्वीकृति देने के लिए रजिस्ट्रार की शक्ति.—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी सभा और उसके ऋणदाता (creditor) या ऋणदाताओं (creditors) या ऋणदाताओं की श्रेणी (class of creditors) के मध्य कोई समझौता या व्यवस्था (arrangement) प्रस्तावित हो तो उस दशा में सभा या किसी ऋणदाता (creditor), या उस सभा की दशा में, जिसके सम्बन्ध में उसके समापन (winding up) का आदेश दिया गया हो, विगणिक (liquidator) द्वारा विहित रीति से प्रार्थनापत्र दिए जाने पर रजिस्ट्रार, स्थितिअनुसार, ऋणदाताओं (creditors) या ऋणदाताओं की श्रेणी (class of creditors) की बैठक विहित रीति से बुलाने, करने और विहित रीति से बैठक के संचालन का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि सभा द्वारा ऋणदाताओं अथवा ऋणदाताओं की श्रेणी को देय उधार (debts) के तीन चौथाई की मांग का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋणदाताओं अथवा, स्थितिअनुसार, ऋणदाताओं की श्रेणी की, या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपुरुष (proxy) द्वारा बैठक में उपस्थित बहुसंख्या किसी समझौते या व्यवस्था को स्वीकार कर ले तो वह समझौता या व्यवस्था, यदि रजिस्ट्रार उसे स्वीकार (sanction) करे, विहित रीति से प्रकाशित होने के पश्चात समस्त ऋणदाताओं या, स्थिति-अनुसार, ऋणदाताओं की श्रेणी पर तथा सभा पर भी बाध्य होगा, या उस सभा की दशा में, जिसके सम्बन्ध में समापन का आदेश (order of winding up) दिया जा चुका हो विगणिक और उन समस्त व्यक्तियों पर बाध्य होगा, जिनसे विगणिक द्वारा धारा 105 के अधीन सभा की सकलसम्पत्ति में अपना अंश देने की अपेक्षा की गई हो या की जाए।

अध्याय 11

दायित्वों (obligations) को पूरा करवाना तथा वसूलियां

95. प्रलेखों इत्यादि की सहज लभ्यता.—रजिस्ट्रार तथा किन्हीं भी विहित आयंत्रणों के प्रतिबन्धाधीन लेखा-परीक्षक (औडिटर), विवाचक (arbitrator) या निरीक्षण अथवा परिपृच्छा करने वाले अन्य व्यक्ति को हर उचित समय में सभा को या सभा के संरक्षणाधीन पुस्तकें, लेखे, प्रलेख, प्रतिभूतियां,

नकदी तथा अन्य सम्पत्ति अबाध रूप से सहजलभ्य होंगी।

96. उपस्थिति बाध्य करने की शक्तियां.- इस अधिनियम में जहां कहीं भी यह व्यवस्था हो कि रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के सामान्य अथवा विशेष लिखित आदेश द्वारा इस हेतु विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति धारा 77 के अधीन परिपृच्छा करेगा या धारा 76 के अधीन निरीक्षण करेगा या सभा का समापन करेगा या विचारण करेगा उस अवस्था में रजिस्ट्रार या, स्थितिअनुसार, प्राधिकृत व्यक्ति उन्हीं उपायों द्वारा और जहां तक हो सके उसी रीति से, जो दीवानी न्यायालयों के लिए कोड औफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) में व्यवस्थित हैं, गवाहों को तथा साथ ही साथ स्वत्व रखने वाले पक्षों या उन में से किसी को बुलाने और उनकी उपस्थिति बाध्य करने या उन्हें साक्ष्य देने के लिए बाध्य करने और प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण बाध्य करने के लिए शक्तिसम्पन्न होगा।

97. देय राशियां चुकाने का निदेश देने की शक्ति.—अध्याय 10 में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार या कोई अन्य विहित व्यक्ति स्वयं या सभा अथवा वित्त प्रबन्धक अधिकोष की लिखित मांग पर उचित परिपृच्छा करने के पश्चात् बाकीदार सदस्य (defaulting member) द्वारा देय ऋण (loan) की वसूली के लिए एक परिनिर्णय दे सकेगा, जिस में वह उक्त सदस्य को ऐसी राशि चुकाने का निदेश दे सकेगा जो उस से प्राप्य पाई गई हो।

98. प्रभार तथा अतिरिक्त प्रभार (charge and surcharge).—(1) जहां धारा 71 के अधीन लेखा-परीक्षण करने पर या धारा 76 या धारा 79 के अधीन निरीक्षण करने पर या धारा 77 के अधीन परिपृच्छा करने पर या ऐसे प्रतिवेदन पर, जो सभा का समापन करते समय दिया जाय, रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि किसी भूतपूर्व या विद्यमान पदाधिकारी ने इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् और, स्थितिअनुसार, उक्त लेखा-परीक्षण, निरीक्षण, परिपृच्छा या प्रतिवेदन के दिनांक से पूर्व चार वर्ष की अवधि में—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के या नियमों के या उपविधियों के विरुद्ध जानबूझकर कोई चुकती की है या चुकती प्राधिकृत की है; या

(ख) किसी विहित विषय के सम्बन्ध में उसके दंडनीय प्रमाद से सभा को हानि हुई है या उसे घाटा हुआ है; या

(ग) ऐसी राशि जिसका लेखा रखा जाना चाहिए था, लेखे में नहीं लिखी है; या

(घ) सभा की किसी सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है या छलपूर्वक वह अपने पास रखी है, तो रजिस्ट्रार उक्त पदाधिकारी के आचरण की परिपृच्छा कर सकेगा।

(2) उक्त परिपृच्छा करने के उपरान्त, उस पदाधिकारी को सुनवाई का अवसर देकर और इस अधिनियम या नियम या उपविधियों के उपबन्धों के विरुद्ध की गई चुकती की दशा में, इस प्रकार चुकाई गई राशि प्राप्तिकर्ता से वसूल करने और उसे सभा की निधि में जमा कराने का एक अवसर उक्त पदाधिकारी को देकर रजिस्ट्रार नियमों के प्रतिबन्धाधीन एक लिखित आदेश द्वारा उक्त पदाधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सभा की सकलसम्पत्ति में उक्त चुकती या हानि या घाटे की क्षतिपूर्ति के रूप में, ऐसी राशि या ऐसी सम्पत्ति, जो रजिस्ट्रार उचित समझे, जमा करा दे या पूर्ववत् वापस कर दे और ऐसी राशि चुकाए, जो रजिस्ट्रार इस धारा के अधीन कार्यवाहियों का व्यय पूरा करने के लिए नियत करे।

(3) इस बात के होते हुए भी यह धारा प्रवर्तनीय होगी कि उक्त पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्म या अपनी भूल से इस अधिनियम या तत्काल प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन अपराधात्मक दायित्व वहन किया गया है।

99. रजिस्ट्रार को दायित्व (obligations) पूरा करवाने की शक्ति.—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी सभा से इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन कोई कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई हो और वह न की गई हो तो—

(क) इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों में व्यवस्थित अवधि में ; या

(ख) जहां कोई अवधि व्यवस्थित न हो उस दशा में जैसी कार्यवाही हो और जितनी कार्यवाही करनी हो उस का ध्यान रखते हुए, जो अवधि रजिस्ट्रार लिखित सूचना (नोटिस) द्वारा नियत करे, उस अवधि में

रजिस्ट्रार सभा के उस पदाधिकारी को बुलवा सकेगा, जिसे वह विहित सिद्धांतों के अनुसार अपने निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी समझे, और सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उक्त पदाधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब तक कि रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन नहीं हो जाता पच्चीस रुपये से अनधिक ऐसी राशि, जो रजिस्ट्रार उचित समझे, सभा की सकलसम्पत्ति में दे।

100. धन कैसे वसूल किया जायगा.—धारा 105 के अधीन विगणिक (liquidator) या धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार या धारा 88 के खण्ड (ख) या धारा 87 के अधीन रजिस्ट्रार या उस के द्वारा नामांकित व्यक्ति, या विवादकों को निर्दिष्ट विवाद के सम्बन्ध में उस का या उन का आदेश या धारा 113 के अधीन की गई अपील पर दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 114 के अधीन पुनरावृत्ति में दिया गया प्रत्येक आदेश और धारा 113 के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध की गई अपील पर राज्यशासन का प्रत्येक आदेश, यदि रजिस्ट्रार या विगणिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पर कार्यान्वित न किया जाए तो वह दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और धारा 101 में व्यवस्थित रीति से निष्पादित किया जायगा।

101. प्राप्य राशियों की वसूली.—इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश, निश्चय या परिनिर्णय (award) के अनुसार राज्य शासन या किसी सभा को देय राशि प्रथम अनुसूची में प्राप्य होगी :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) में या तत्काल प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 54 के अधीन लिया हुआ ऋण (loan) या उस की किस्त न चुकाने के सम्बन्ध में धारा 88 और धारा 97 के अधीन दिए गए किसी परिनिर्णय (award) के अनुसार देय कोई भी राशि—

(क) यदि सदस्य का वेतन तीस रुपये प्रतिमास से अधिक हो तो उतनी किस्तों तक, जो न चुकाई गई हों, उस का वेतन या उस वेतन में से तीस रुपये निकाल कर, जो शेष रहे, उसका आधा भाग, इन में से जो भी कम हो, उसे कुर्क करके वसूली योग्य होगी ; तथा

(ख) यदि सदस्य का वेतन तीस रुपये प्रतिमास से अधिक न हो तो उतनी किस्तों तक, जो न

चुकाई गई हों, उस वेतन को या वेतन में से प्रति रुपया एक आना, इन में से जो भी कम हो, कुर्क करके वसूली योग्य होगी।

102. कुछ त्रुटियों (defects) के आधार पर सभाओं के कार्य इत्यादि अमान्य नहीं होंगे.—(1) सभा या प्रबन्धक-समिति या किसी पदाधिकारी या विगणिक द्वारा सभा के व्यवसाय के अनुपालन में सद्भाव से किया गया में कोई भी कार्य केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि सभा के संगठन या प्रबन्धक समिति की रचना या पदाधिकारी या विगणिक की नियुक्ति या चुनाव में कालांतर में कोई त्रुटि पाई गई है या इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उक्त पदाधिकारी या विगणिक नियुक्ति के अयोग्य था।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव से किया गया कोई भी कार्य केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उस की नियुक्ति इस अधिनियम द्वारा या इस के अधीन कालांतर में दिए गए किसी आदेश से रद्द कर दी गई है।

(3) इस विषय का निश्चय रजिस्ट्रार करेगा कि कि कोई कार्य सभा के व्यवसाय के अनुपालन में सद्भावना से किया गया था या नहीं।

अध्याय 12

सभा का समापन (winding up) और विघटन (dissolution)

103. सहकारी सभा के समापन के लिए आदेश.—(1) रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा और यदि इस सम्बन्ध में नियमों द्वारा ऐसा विहित हो तो यह निदेश देगा कि सहकारी सभा का समापन किया जाएगा, यदि निम्नलिखित दशाओं में उसकी यह राय हो कि सभा का समापन कर दिया जाना चाहिए—

(क) धारा 76 या 79 के अधीन निरीक्षण करने पर या जब धारा 77 के अधीन परिपृच्छा करने के पश्चात्; या

(ख) इस हेतु बुलाई गई विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित सभा के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थनापत्र देने पर; या

(ग) निम्नलिखित सभाओं की दशा में स्वेच्छापूर्वक—

(अ) जिस सभा ने कार्य करना आरम्भ न किया हो; या

(आ) जिस सभा ने कार्य करना बन्द कर दिया हो; या

(इ) जिस सभा के हिस्सों की पूंजी (share capital) या सदस्यों की जमा पूंजी पांच सौ रुपए से अधिक न हो; या

(ई) जिस सभा ने इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में पंजीयन के लिए व्यवस्थित किसी प्रतिबन्ध का पालन करना बन्द कर दिया हो।

(2) उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि विहित रीति से सभा और ऐसे वित्त प्रबन्धक अधिकोष, यदि कोई हो, को भेजी जाएगी जिस की सदस्यता में वह सभा सदस्य हो।

(3) आदेश—

(क) जहां धारा 113 के अधीन कोई अपील न की गई तो अपील करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रभावी होगा ; या

(ख) जहां अपील की गई हो उस अवस्था में अपील-प्राधिकारी (appellate authority) द्वारा अपील अस्वीकार कर दिए जाने पर प्रभावी होगा ।

104. विगणिक (liquidator) की नियुक्ति.—जब धारा 103 के अधीन किसी सभा के समापन (winding up) का आदेश दिया जा चुका हो, तो रजिस्ट्रार नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को सभा का विगणिक नियुक्त कर सकेगा और उक्त व्यक्ति को पदच्युत कर सकेगा और उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

105. विगणिक (liquidator) की शक्तियां.—(1) जिस दिनांक से सहकारी सभा के समापन का आदेश प्रभावी होता है उसके सम्बन्ध में धारा 103 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 104 के अधीन नियुक्त विगणिक (liquidator) अपनी नियुक्ति के दिनांक से सभा की समस्त सकलसम्पत्ति, (assets) सम्पत्ति, सामान (effects) और कार्यवाहीयोग्य मांगें (actionable claims) या ऐसी समस्त सकलसम्पत्ति,(as-ets) सम्पत्ति, सामान और कार्यवाहीयोग्य मांगें (actionable claims),जिन की सभा हकदार हो, और सभा के व्यवसाय से सम्बन्धित समस्त पुस्तकें, अभिलेख और अन्य प्रलेख तुरन्त अपने कब्जे में लेने के लिए शक्तिसम्पन्न होगा ।

(2) जिस दिनांक को सभा का समापन करने का आदेश प्रभावी होता है उस दिनांक से विगणिक नियमों तथा रजिस्ट्रार के सामान्य (general) निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जहां तक ऐसा करना सभा के समापन के लिए आवश्यक हो, सभा की ओर से उसका व्यवसाय जारी रखने और उक्त समापन के लिए समस्त आवश्यक कार्य करने और समस्त पलेखों का निष्पादन करने के प्रयोजनार्थ शक्तिसम्पन्न होगा और विशेषतया निम्नलिखित शक्तियों में से ऐसी शक्तियां प्रयोग करेगा, जो रजिस्ट्रार समय समय पर निदेशित करे, अर्थात्—

(क) वाद और अन्य वैधानिक कार्यवाहियां चलाना और उन से प्रतिरक्षा करना;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता या व्यवस्था करना, जिसके और सभा के मध्य कोई विवाद हो, और उक्त किसी भी विवाद को विवाचन हेतु निर्दिष्ट करना;

(ग) सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा द्वारा, उसके द्वारा नामांकित व्यक्तियों, उसके उत्तराधिकारियों या वैधानिक प्रतिनिधियों द्वारा सभा को देय ऋण का निश्चय करना ;

(घ) विगणन के व्यय की गणना करना और यह निश्चय करना कि वे किस व्यक्ति द्वारा और किस अनुपात से पूरे किये जाएंगे ;

(च) सभा के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों की सम्पदाओं द्वारा, उनके द्वारा नामांकित व्यक्तियों उनके उत्तराधिकारियों और वैधानिक प्रतिनिधियों या भूतपूर्व या वर्तमान

पदाधिकारियों द्वारा सभा की सकलसम्पत्ति में समय समय पर दिए जाने वाले अंशदानों का निश्चय करना, जिस में खण्ड (ग) और (घ) में वर्णित विषय सम्मिलित होंगे ;

(छ) सभा के विरुद्ध की गई समस्त मांगों (claims) की जांच करना (investigate) और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ मांगवर्ताओं (claimants) की पूर्वता प्रश्न का निर्णय करना;

(ज) सभा के विरुद्ध की गई मांगों (जिस में उसके समापन के आदेश के दिनांक तक का ब्याज सम्मिलित होगा) की पूर्वता के अनुसार सभा की सकलसम्पत्ति (assets) की क्षमता के अनुसार उन की सम्पूर्ण या आनुपातिक (rateably) चुकती करना;

(झ) ऐसे निदेश देना, जो उसे सभा की सकलसम्पत्ति (assets) की प्राप्ति, संग्रह और वितरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों; और

(ञ) सभा के सदस्यों का परामर्श लेने के पश्चात् ऐसे अतिरेक (surplus), यदि कोई हो, की व्यवस्थापना करना, जो सभा के विरुद्ध की गई मांगों की चुकती करने के पश्चात् शेष हों।

106. विगणिकों (liquidators) द्वारा निर्धारित अंशदानों की पूर्वता.—प्रोविंशियल इन्सौलवैन्सी ऐक्ट, 1920 (Provincial Insolvency Act, 1920) में किसी बात के होते हुए भी, शोधाक्षमता (insolvency) की कार्यवाहियों में पूर्वता के क्रम में विगणिक (liquidator) द्वारा निर्धारित अंशदान शासन या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को देय उधार से दूसरे स्थान पर होगा।

107. विगणिक (liquidator) पुस्तकों को जमा करेगा और अन्तिम प्रतिवेदन (final report) देगा.—जब सभा के कार्यों का समापन कर दिया गया हो तो विगणिक विहित रीति से सभा के अभिलेख जमा करेगा और रजिस्ट्रार को एक प्रतिवेदन देगा।

108. सहकारी सभा के समापन या पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के आदेश को रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.—(1) जहां रजिस्ट्रार की यह राय हो कि कोई सभा जारी रहनी चाहिए तो वह उसके समापन का आदेश रद्द कर सकेगा।

(2) अन्य किसी भी दशा में रजिस्ट्रार विगणिक (liquidator) के प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सभा के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) को रद्द करने का आदेश देगा।

109. समापन और विघटन से सम्बद्ध विषयों में वाद चलाने पर रुकावट.—जहां तक इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई हो, उस को छोड़ कर, कोई भी दीवानी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी सभा के समापन या विघटन से सम्बन्धित किसी भी विषय का संज्ञान (cognizance) नहीं करेगा और जब समापन का आदेश दिया जा चुका हो तो सभा के विरुद्ध कोई भी वाद या वैधानिक कार्यवाही केवल रजिस्ट्रार की अनुमति से ही और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह आरोपित करे, की जा सकेगी अन्यथा नहीं।

110. अतिरिक्त सकलसम्पत्ति (surplus assets) की व्यवस्थापना.—जब किसी की गई सभा के समस्त दायित्व (liabilities) जिन में प्रदत्त हिस्सों की पूंजी (paid up share capital) सम्मिलित होगी, पूरे किए जा चुके हों तो अतिरिक्त सकलसम्पत्ति (surplus assets) इसके सदस्यों में विभजित नहीं की जाएंगी, किन्तु वे सभा की उपविधियों में

वर्णित उद्देश्य या उद्देश्यों में लगा दी जाएगी और जब किसी भी उद्देश्य का इस प्रकार से वर्णन न हो तो वे सार्वजनिक उपादेयता के किसी भी उद्देश्य में लगा दी जाएंगी, जो सभा की सामान्य बैठक द्वारा निश्चित हुआ हो और सामान्य बैठक द्वारा विहित अवधि में उक्त उद्देश्य का निश्चय न हो सकने पर रजिस्ट्रार द्वारा वे पूर्णतया या अंशतया निम्नलिखित समस्त प्रयोजनों अथवा इन में से किसी भी प्रयोजन के लिए अभिहस्तांकित (assign) कर दी जाएगी :—

(क) स्थानीय हित के सार्वजनिक उपादेयता के उद्देश्य में अभिहस्तांकन ;

(ख) चैरीटेबल ऐन्डोमैन्ट्स ऐक्ट, 1890 (Charitable Endowments Act, 1890) की धारा 2 में परिभाषित किसी परोपकारी कार्य में अभिहस्तांकन ;

(ग) वित्त प्रबन्धक अधिकोष में उस समय तक अभिहस्तांकन, जब तक उसी या प्रतिवासी क्षेत्र में उसी प्रकार के उद्देश्य वाली नई सभा का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं होता और तदुपरान्त रजिस्ट्रार की सहमति से उक्त अतिरेक ऐसी नई सभा की आरक्षित निधि में जमा किया जा सकेगा ।

अध्याय 13

क्षेत्राधिकार, अपील तथा पुनरीक्षण

111. उन्मुक्ति (Indemnity).—रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ व्यक्ति या उसके प्राधिकार से काम करने वाले किसी व्यक्ति या न्यासधारी (trustee) के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अभिप्रेत या सद्भावना से किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई भी वाद, अभियोजन (prosecution) या वैधानिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी ।

112. न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रुकावट.—(1) इस अधिनियम में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर, कोई भी दीवानी या माल न्यायालय निम्नलिखित के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार सम्पन्न नहीं होगा—

(क) सभा या उसकी उपविधियों या सभा के उपविधियों के संशोधन का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) ; या

(ख) प्रबन्धक समिति का विघटन (dissolution) और उसके विघटन पर सभा का प्रबन्ध ; या

(ग) ऐसा कोई विवाद, जो धारा 87 के अधीन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ; या

(घ) सभा के समापन और विघटन (winding up and dissolution) से सम्बन्धित कोई विषय ।

(2) जब किसी सभा का समापन किया जा रहा हो तो उक्त सभा के व्यवसाय से सम्बन्धित कोई भी वाद या अन्य वैधानिक कार्यवाही विगणिक के विरुद्ध विगणिक के रूप में या सभा अथवा उसके किसी सदस्य के विरुद्ध केवल रजिस्ट्रार की अनुमति ले कर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ही चलाई जाएगी या दायर की जा सकेगी, जो वह आरोपित करे, अन्यथा नहीं ।

(3) इस अधिनियम में जो व्यवस्था की गई है उसे छोड़ कर इस अधिनियम के अधीन किसी भी आदेश, निश्चय या परिनिर्णय (award) पर किसी भी न्यायालय में क्षेत्राधिकार न होने के

आधार से अन्यथा किसी भी प्रकार के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा, न ही वह रद्द किया जा सकेगा, न ही उसमें संपरिवर्तन किया जा सकेगा, न ही उसकी पुनरावृत्ति की जा सकेगी या उसे शून्य घोषित किया जा सकेगा।

113. अपील.—(1) दूसरी अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में प्रदर्शित आदेश पर अपील उसके तीसरे स्तम्भ में प्रदर्शित प्राधिकारी के पास और उसके चौथे स्तम्भ में प्रदर्शित अवधि में की जाएगी।

(2) इस अधिनियम में की गई व्यवस्था को छोड़ कर इस अधिनियम के अनुपालन में दिए गए आदेश, किए गए निश्चय या परिनिर्णय (awards) के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी और प्रत्येक उक्त आदेश, निश्चय या परिनिर्णय (awards) अन्तिम होगा।

114. पुनरीक्षण और पुनरावृत्ति.—(1) राज्यशासन इस अधिनियम के अधीन की गई किसी परिपृच्छा या किए गए किसी निरीक्षण के अभिलेख या रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ व्यक्ति या उसके प्राधिकर से काम करने वाले किसी व्यक्ति की कार्यवाहियां मंगवा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा और उन पर ऐसे आदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे।

(2) रजिट्रार किसी भी समय—

(क) ऐसे किसी भी आदेश की पुनरावृत्ति कर सकेगा, जो उसने स्वयं दिया हो; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन की गई किसी परिपृच्छा या किए गए किसी निरीक्षण के अभिलेख या उसके अधीनस्थ व्यक्ति या उसके प्राधिकार से काम करने वाले व्यक्ति की कार्यवाहियां मंगवा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा और यदि उसे यह प्रतीत हो कि कोई निश्चय, आदेश या परिनिर्णय (award) या इस प्रकार मंगवाई गई कोई कार्यवाहियां किसी कारण से संपरिवर्तित या अभिशून्य कर दी जानी चाहिए या उलट दी जानी चाहिए तो उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई भी आदेश देने से पूर्व रजिस्ट्रार ऐसे किसी भी व्यक्ति को, सुनवाई का एक अवसर देगा जिस पर उक्त आदेश से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

अध्याय 14

अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया

115. कुछ उपपातकों (misdemeanours) के लिए शास्ति.—जब रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों या उपविधियों का —

(क) प्रबन्धक समिति के सदस्य के रूप में बैठ कर या मत दे कर या सभा के मामलों में किसी अन्य ऐसी सभा, जो उक्त सभा की सदस्य हो, के प्रतिनिधि के रूप में

मत दे कर या किसी सभा के सदस्य के नाते अधिकार प्रयोग करके उल्लंघन किया है, जबकि उक्त व्यक्ति, स्थितिअनुसार, इस प्रकार से बैठने या मत देने या उक्त अधिकार प्रयोग करने के लिए अधिकृत न हो; या

(ख) किसी ऋण (loan) को ऐसे प्रयोजन में लगा कर उल्लंघन किया है, जो उससे भिन्न हो जिसके लिए ऋण (loan) स्वीकार किया गया हो,

तो रजिस्ट्रार नियमों के प्रतिबन्धाधीन और उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश से उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसी राशि जो रजिस्ट्रार प्रत्येक उक्त उल्लंघन के सम्बन्ध में उचित समझे, सभा की सकलसम्पत्ति (assets) में दे।

116. अपराध और शास्तियां.—तीसरी अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में वर्णित कोई भी व्यक्ति, जो उसके दूसरे स्तम्भ में प्रदर्शित किसी अपराध का दोषी हो, इस अधिनियम में या तत्काल प्रचलित अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराधी ठहराए जाने पर उस के चौथे स्तम्भ में प्रदर्शित शास्ति का भागी होगा।

117. अपराधों का संज्ञान.—(1) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों की अन्वीक्षा नहीं करेगा।

(2) कोड औफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 (Code of Criminal Procedure 1898) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध उक्त कोड के प्रयोजनार्थ असंज्ञेय (non-cognizable) समझे जाएंगे।

(3) रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोग (prosecution) दायर नहीं किया जायेगा।

अध्याय 15

नियम

118. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्यशासन समस्त हिमाचल प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए और किसी सभा या सभाओं की श्रेणी के लिए पूर्वप्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित विषयों में से समस्त या किन्हीं की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात्:—

(1) धारा 2 के खन्ड (19) में निर्दिष्ट राशियों के साथ ही साथ लाभों में से घटाई जाने वाली राशियां;

(2) सहकारी वर्ष की अवधि;

(3) इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों से किसी सभा या सभा-श्रेणी की विमुक्ति तथा वह सीमा, जहां तक इस अधिनियम के कोई भी उपबन्ध किसी भी सभा या सभा-श्रेणी पर प्रयुक्त होंगे;

(4) वह सीमा, जिस तक और वह रीति, जिसके अनुसार रजिस्ट्रार को सौंपी गई शक्तियां और कर्तव्य अन्य व्यक्तियों को दिए जा सकेंगे;

(5) किसी सभा या सभा श्रेणी के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की शर्तें ;

(6) सभा के हिस्सों की पूंजी (share capital) का अधिकतम ऐसा भा (portion), जो सदस्य द्वारा धारा 5 के अधीन रखा जा सकेगा ;

(7) सभा के पंजीयन के लिए दिए जाने वाले प्रार्थनापत्र के प्रपत्र (forms) और पालन की जाने वाली शर्तें तथा उक्त प्रार्थनापत्र के विषय में अनुपालनीय प्रक्रिया ;

(8) सभा के विभाजन तथा सभाओं के एकीकरण (amalgamation) की प्रक्रिया और शर्तें ;

(9) सभा की सदस्यता के पंजीयन के लिए प्रक्रिया और वह सीमा, जिस तक सभा अपने सदस्यों की संख्या सीमित कर सकेगी ;

(10) वह विषय, जिसके सम्बन्ध में सहकारी सभा उपविधियां बनाएगी या बना सकेगी और उपविधियों के संशोधन की प्रक्रिया और शर्तें ;

(11) वित्त प्रबन्धक अधिकोष द्वारा शक्तियों के प्रयोग करने की प्रक्रियां और शर्तें ;

(12) सामान्य बैठकों को बुलाने और करने की प्रक्रिया तथा उक्त बैठकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ;

(13) वे प्रतिबंध, जिन के अन्तर्गत सभा का सदस्य धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन मतदान हेतु अयोग्य हो जाएगा ;

(14) धारा 18 के अधीन किसी सदस्य द्वारा अपने पास अधिकतम धारण (maximum holding) के लिए शर्तें ;

(15) सभा के वार्षिक लेखे बन्द करने का दिनांक;

(16) सभा की प्रबन्धक समिति बनाने की पद्धति, जिस में समुचित स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति भी सम्मिलित होगी ;

(17) विभिन्न श्रेणियों की सभाओं की प्रबंधक समितियों के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की योग्यताएं, अयोग्यताएं, पदावधि, मुअत्तली तथा उन्हें पद से हटाना ;

(18) प्रबन्धक समिति की बैठकों में प्रक्रिया और प्रबन्धक समिति तथा सभा के पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां तथा सम्पादित किए जाने वाले कर्तव्य ;

(19) वे परिस्थितियां, जिन में धारा 24 के प्रयोजनार्थ प्रतिनिधि (delegates) चुने जा सकेंगे, वह रीति जिस के अनुसार इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि चुने जा सकेंगे और वह रीति, जिस के अनुसार इस प्रकार निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि मत देंगे ;

(20) धारा 28 के अधीन राज्य के प्रनियुक्त कर्मचारी को प्रनियुक्त करने की शर्तें तथा उस के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और सम्पादित किए जाने वाले कर्तव्य;

(21) सभा की प्रबन्धक समिति के निलम्बन या अतिष्ठान (supersession) की प्रक्रिया और शर्तें और धारा 30 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति का ढंग और उनकी योग्यताएं;

(22) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार सभा का पता और पते में किया गया परिवर्तन पंजीकृत (रजिस्टर) किया जाएगा ;

(23) विभिन्न श्रेणियों की सभाओं द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वेतन पर काम करने वाले कर्मचारीगण की संख्या और उनकी योग्यताएं ;

(24) वे लेखे, पुस्तकें और पंजियां जो सभाएं अपने पास रखेंगी तथा वे विवरणपत्र, जो सभाएं प्रस्तुत करेंगी, वह प्रपत्र, जिसमें तथा वे व्यक्ति, जिन के द्वारा उक्त लेखे, पुस्तकें और पंजियां रखी जाएंगी तथा उक्त विवरणपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, उक्त लेखों, पुस्तकों और पंजियों को सुरक्षित रखने और समाप्त करने का ढंग तथा वे शुल्क जो ऐसे विवरणपत्रों को, जो नियमों के अनुपालन में प्रस्तुत न किए गए हों तैयार करने के लिए निर्धारित किए जा सकेंगे और लगाए जा सकेंगे ;

(25) वे प्रलेख, जो किसी सभा द्वारा धारा 34 के अधीन निरीक्षण के लिऐ खुले रखे जाऐंगे ;

(26) वह रीति, जिस में धारा 35 के अधीन सन्तुलनपत्र (balance sheet) प्रकाशित किया जायेगा ;

(27) वह रीति, जिस में सभा धारा 37 के अधीन अपनी निधियों को विनियोजित कर सकेगी या जमा कर सकेगी ;

(28) वे शर्तें, जिन में और वह सीमा, जिस तक धारा 38 के अधीन सभा के लाभ उस के सदस्यों में बांटे जा सकेंगे ;

(29) वह अनुपात (proportion), जो धारा 39 के अधीन प्रत्येक वर्ष सभा के शुद्ध लाभों में से निकाल कर आरक्षित निधि में रख दिया जाएगा, वह सीमा, जिस तक कोई सभा अपनी आरक्षित निधि अपने व्यवसाय में प्रयोग कर सकेगी, और आरक्षित निधि के विनियोजन का ढंग ;

(30) अंशदान की वह राशि या अनुपात, जो सभा धारा 41 के अधीन भविष्य-निधि (provident fund) में दे सकेगी ;

(31) वह रीति, जिस में सभा को धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन सुनवाई का अवसर दिया जा सकेगा ;

(32) वे शर्तें, जिन पर और वह सीमा, जिस तक, धारा 42 की उपधारा (1) के उपबन्धों में दी गई छूट (relaxation) के अनुसार ऋण दिए जा सकेंगे और सभा द्वारा अपने सदस्यों के अधिकतम तथा असामान्य ऋणों का निश्चय ;

(33) वे सहकारी प्रयोजन, जिन के लिए सभा धारा 46 के अधीन अपने शुद्ध लाभों की प्रतिशतता का अंशदान देगी । ऐसे अंशदान की सीमा, जो धारा 40 के अधीन दिया जा सकेगा और उक्त अंशदान देने की रीति ;

(34) ऐसे ऋण पत्रों (debentures) को, जो सभा द्वारा जारी किए गए हों जारी करने, उनके मोचन (redemption), उन्हें पुनः जारी करने, उनके हस्तांतरण, उनके प्रतिस्थापन

या परिवर्तन (conversion) की प्रक्रिया और शर्तें ;

(35) वे प्रतिबन्ध और शर्तें, जिन के अधीन और वह रीति, जिस के अनुसार, और वह सीमा जिस तक, सभा हिस्सों (शेयरों), निक्षेप, (deposits) ऋणपत्रों (debentures) द्वारा या अन्यथा निधियां जुटा सकेगी और वह रीति, जिस में द्रव साधनों (fluid resources) के संधारण (maintenance) की व्यवस्था की जाएगी ;

(36) न्यासधारी (trustee) और सभा के मध्य न्यास के विलेख (instrument of trust) में परिवर्तन करने की प्रक्रिया और शर्तें ;

(37) सभा से ऋण मांगने वाले सदस्यों द्वारा की जाने वाली चुकतियां और अनुपालनीय शर्तें तथा वह अवधि, जिसके लिए ऋण दिए जाएंगे और वह राशि, जो किसी एक सदस्य को दी जाएगी ;

(38) धारा 51 के अधीन किसी प्रलेख के प्रमाणिकरण का ढंग, प्रलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने की प्रक्रिया और शर्तें और वे शुल्क, जो प्रमाणित या अप्रमाणित प्रतिलिपियां देने के लिए आरोपित किए जा सकेंगे ;

(39) किसी सदस्य या हस्तांतरग्रहीता द्वारा नामांकन के लिए प्रक्रिया और शर्तें तथा नामांकन की पद्धति तथा धारा 52 और धारा 69 के अधीन किसी सभा द्वारा मृत सदस्य के नामांकित व्यक्ति के प्रतिस्थापन (substitution) के लिए और सभा द्वारा धारा 52 के अधीन कार्यवाही करने का निश्चय निश्चित करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें और धारा 52, धारा 68 और धारा 69 के प्रयोजनार्थ उसे देय राशियों के मूल्य के आगणन की प्रक्रिया ;

(40) वह प्रक्रिया, जिस के द्वारा और वे शर्तें, जिन के अधीन धारा 55 या धारा 57 के अन्तर्गत सुरक्षा (gurantees) या वित्तीय सहायता दी जा सकेगी ;

(41) धारा 57 के अधीन ऋणपत्रों (debentures) की सुरक्षा (गारन्टी) के लिए मूलधन की अधिकतम राशि, ब्याज की दर (rate) और अन्य शर्तें ;

(42) वे निषेध और आयन्त्रण, जिन के अधीन रहते हुए सभाएं ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवसाय कर सकेंगी, जो सभा के सदस्य न हों;

(43) सभा के दायित्व के रूप में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें ;

(44) ऐसी प्रत्येक दशा में, जिस में इस अधिनियम या नियमों के अधीन कोई सूचना (नोटिस) या प्रसर (process) जारी किया गया हो—

(क) सूचना (नोटिस) या प्रसर (process) का प्रपत्र;

(ख) दी जाने वाली सूचना (नोटिस) की अवधि ;

(ग) वे व्यक्ति, जिन पर या जिन के विरुद्ध सूचना (नोटिस) या प्रसर (process) जारी किया जाएगा ; और

(घ) वे शर्तें, जो उक्त सूचना (नोटिस) या प्रसर (process) की तामील (service) का प्रमाण स्थापित करने के लिए पूरी की जाएंगी ;

(45) वे परिस्थितियां, जिनमें किसी सभा के पक्ष में कोई प्रभार पूरा किया जाएगा और वह सीमा, जिस तक और वह क्रम, जिस में सम्पत्ति प्रभार के अधीन रहते हुए उसे पूरा करने के प्रयोग में लाई जाएगी;

(46) धारा 62 द्वारा अपेक्षित मांग के लिखित विवरण का प्रारूप;

(47) धारा 64 और 65 के अधीन प्रार्थनापत्र का प्रारूप, धारा 64 और 65 द्वारा अपेक्षित मानचित्र और विवरण का प्रारूप और उसके प्रकाशन की रीति, तथा धारा 64 और 65 में व्यवस्थित जल-कर और तटबंद सुरक्षा-कर लगाने की रीति;

(48) वे परिस्थितियां और रीति, जिसमें कोई सदस्य त्यागपत्र दे सकेगा या सभा से निकाला जा सकेगा;

(49) वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई सभा अशोध्य-उधार (bad debt) की गणना करेगी और उसका अपलेखन (write off) करेगी;

(50) वह दिनांक जिस तक वार्षिक लेखा-परीक्षण किया जाएगा और लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, लेखा परीक्षण करने वाले लेखा-परीक्षक की प्रक्रिया, वे विषय, जिन पर वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, वह प्रपत्र, जिसमें उसके लेखा-परीक्षण के लिए लेखों का विवरण तैयार किया जाएगा, वे सीमाएं, जिन के भीतर वह सभा के आर्थिक व्यवहारों की जांच कर सकेगा, उसके लेखा-परीक्षण के प्रतिवेदन तथा परीक्षित लेखों के विवरण का प्रारूप और वे शुल्क, यदि कोई हों, जो सभा द्वारा लेखा परीक्षा के हेतु लिए जाएंगे;

(51) धारा 82 के उपबन्धाधीन योजना का विस्तृत ब्योरा और परिवृच्छा अधिकारी की नियुक्ति;

(52) वह रीति, जिस में परिवृच्छा की जाएगी और धारा 83 के अधीन प्रतिवेदन के विषय;

(53) धारा 85 के उपबन्धाधीन सूचना (नोटिस) के विषय और योजना का निष्पादन;

(54) मध्यस्थ की योग्यताएं और उसकी नियुक्ति का ढंग, अध्याय 10 के अधीन कार्यवाहियों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और उक्त कार्यवाहियों से आनुषंगिक शुल्कों की गणना करने और उक्त कार्यवाहियों में किए गए निश्चयों के प्रवृत्त करने का ढंग;

(55) वह रीति, जिसमें समापित संभा की सकलसम्पत्ति के अतिरेक को व्यवस्थापना की जाएगी और उसके अभिलेख जमा कराए जाएंगे;

(56) कुर्की (distraint) को प्रभावी करने की रीति और कुर्क की गई सम्पत्ति (ऐसी सम्पत्ति सहित, जोजल्द नष्ट होने वाली हो) की संरक्षा (custody), सुरक्षा (preservation) और विक्रय (sale) की प्रक्रिया, कुर्क की गई सम्पत्ति में अभियुक्त को छोड़ कर दूसरे

व्यक्तियों के अधिकार या स्वत्वों की मांगों की जांच और उक्त जांच होने पर विक्रय का आगे के लिए स्थगन;

(57) वह रीति, जिसके अनुसार ऐसा ऋण (loan) वापस लिया जाएगा, जो उस प्रयोजन में न लगाया गया हो, जिस के लिए वह दिया गया था;

(58) वे शर्तें, जो उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जाएंगी, जो सभा का सदस्य बनने के लिए प्रार्थनापत्र दे रहा हो या सभा का सदस्य बनाया गया हो, सदस्यों के प्रवेश उन्हें निकालने और उनके पदत्याग के लिए प्रक्रिया और वे शर्तें, जिन के अनुसार सदस्य सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करेंगे;

(59) वे दशाएं, जिन में और वे शर्तें, जिन के अधीन किसी सभा के समापन का आदेश देने में रजिस्ट्रार बाध्य होगा;

(60) राज्यशासन को की जाने वाली अपीलों की दशा में वह प्राधिकारी, जिसे अपीलें सुनने की शक्ति सौंपी जा सकेगी;

(61) रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रलेखों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया तथा शर्तें और शुल्क, यदि कोई हों, जो उक्त निरीक्षण के लिये आरोपित किए जाएंगे;

(62) ऐसे व्ययों, प्रभारों या खर्चों के, जिनका आरोपण इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित हो, आगणन की प्रक्रिया, और उन के आगणन का ढंग;

(63) इस अधिनियम या नियमों के अधीन देय राशियों की वसूली के लिए प्रक्रिया और उन्हें वसूल करने का ढंग;

(64) ऐसा कोई भी आदेश, निर्णय या परिनिर्णय पहुंचाने या उसके प्रकाशन का ढंग, जिसे पहुंचाना या जिसका प्रकाशन इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित हो;

(65) धारा 90 के अधीन सप्रतिबन्ध कुर्की की प्रक्रिया;

(66) धारा 94 के अधीन प्रार्थनापत्र के लिए प्रपत्र और प्रक्रिया तथा उस धारा के अधीन बैठक बुलाने, करने, लगाने और उस के संचालन की प्रक्रिया;

(67) धारा 95 और 96 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों के प्रयोग की प्रक्रिया, प्रतिबन्ध और ढंग;

(68) वे व्यक्ति, जो धारा 97 के अधीन परिनिर्णय दे सकेंगे;

(69) धारा 98 के अधीन परिपृच्छा करने और उस की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया और सिद्धान्त;

(70) धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिये प्रक्रिया और सिद्धांत;

(71) विगणिक की नियुक्ति और उसे हटाने तथा उसके परिलाभ चुकाने की प्रक्रिया, उक्त नियुक्ति की शर्तें, वे प्रतिबन्ध, जिन के अनुसार रजिस्ट्रार विगणिक पर नियन्त्रण रखेगा तथा उसे धारा 104 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निदेश देगा तथा अध्याय 12 के अधीन कार्यवाहियों में अनुपालनार्थ प्रक्रिया ;

(72) धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी नियम बनाते समय राज्य शासन यह निदेश दे सकेगा कि जो व्यक्ति उसका उल्लंघन करेगा न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने पर पचास रुपये तक के अर्थदन्ड का भागी होगा और जहां उल्लंघन निरन्तर हो उस अवस्था में पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए दस रुपए तक के अर्थदन्ड का भागी होगा, जिसके मध्य अपराधी ठहराऐ जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे।

(4) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव-शीघ्र विधान सभा के सन्मुख रखे जायेंगे।

अध्याय 16

प्रकीर्ण

119. निरसन (repeal).—कोप्रेटिव सोसायटीज ऐक्ट, II (सेंट्रल) 1912, [Co-operative Societies Act, II (central) 1912] का जहां तक कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रयुक्त है एतत्द्वारा निरसन किया जाता है।

120. विद्यमान सभाओं का बचाव.—(1) प्रत्येक विद्यमान सभा, जो कोप्रेटिव क्रैडिट सोसायाटीज ऐक्ट II, 1912 के अधीन पंजीकृत हो चुकी हो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) मानी जाएगी और इसकी उपविधियां जहां तक कि वे इस अधिनियम के स्पष्ट उपबन्धों से असंगत न हों तब तक प्रचलित रहेंगी, जब तक कि उन्हें आपरिवर्तित या अनुशून्य (rescind) न किया जाए।

(2) कोप्रेटिव सोसायटीज ऐक्ट, 1912 के अधीन की गई समस्त नियुक्तियां, बनाए गए नियम और दिए गए आदेश, जारी की गई समस्त अधिसूचनाएं और सूचनाएं (नोटिसिज़) किए गए समस्त व्यवहार और उनकी कार्यवाहियों में दायर किए गए समस्त वाद, यथासंभव इस अधिनियम के अधीन बनाए गए, जारी किए गए, या दायर किए गए समझे जायेंगे।

121. इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 (Indain Companies Act, 1913) प्रयुक्त नहीं होगा.—इन्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 (Indian Companies Act, 1913) के उपबन्ध पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभाओं पर प्रयुक्त नहीं होंगे।

122. राज्य से बाहर की सभाओं की शाखाएं.—हिमाचल प्रदेश से बाहर पंजीकृत प्रत्येक ऐसी सभा, जिस की हिमाचल प्रदेश में कोई शाखा या व्यवसाय स्थान हो या जो हिमाचल प्रदेश में कोई शाखा स्थापित करे या व्यवसाय स्थान स्थापित करे, इस अधिनियम का प्रारम्भ होने से या उक्त शाखा या व्यवसाय स्थान की स्थापना से छः मास के भीतर रजिस्ट्रार को अपनी उपविधियों और संशोधनों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि देगी और उन विवरणपत्रों तथा

सूचनाओं के साथ ही साथ, जो उस राज्य के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाती हों जहां पर वह पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हो, ऐसे विवरणपत्र और ऐसी सूचनाएं, जो हिमाचल प्रदेश में उसी प्रकार की सभाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती हों, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी।

123. वादों में आवश्यक सूचना.—जब तक लिखित रूप में एक ऐसी सूचना, जिस में वादमूल (cause of action), वादी का नाम, ब्योरा और निवास स्थान तथा सहायता जो उसने मांगी हो, प्रदर्शित हो, रजिस्ट्रार को प्रदान कर दिए जाने या उसके कार्यालय में पहुंचा दिए जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो गए हों तब तक किसी भी सभा या उस के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध, सभा के व्यवसाय से सम्बद्ध किसी भी कार्य के सम्बन्ध में कोई भी वाद दायर नहीं किया जायगा और वादपत्र में यह विवरण होगा कि उक्त सूचना उक्त रूप से प्रदान कर दी गई थी या पहुंचा दी गई थी।

प्रथम अनुसूची

क्रम संख्या	देय राशि का नाम	वसूली का ढंग
1	धारा 72 के अधीन सभा के लेखे को पूरा करवाने में किया गया व्यय तथा धारा 99 के अधीन परिनिर्णीत राशियां।	रजिस्ट्रार के मांगपत्र पर कलेक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाया के रूप में या धारा 72 की दशा में रजिस्ट्रार की अनुमति से लेखा-परीक्षक द्वारा।
2	धारा 78 के अधीन परिपृच्छा या निरीक्षण का अभिभाजित व्यय, धारा 97 के अन्तर्गत परिनिर्णीत देय राशियों की वसूली, धारा 99 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में परिनिर्णीत अंशदान और धारा 115 के अधीन परिनिर्णीत राशियां।	रजिस्ट्रार के मांगपत्र पर कलेक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाया के रूप में।
3	धारा 78 के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा या धारा 89 के अधीन अन्तिम बन्धक डिक्री के समान प्रभावशाली परिनिर्णय द्वारा किसी सहकारी सभा के पक्ष में परिनिर्णीत राशियां।	सभा के मांगपत्र पर कलेक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाया के रूप में या सभा के प्रार्थनापत्र पर किसी स्थानीय क्षेत्राधिकारसम्पन्न दीवानी न्यायालय द्वारा उसी रीति में, जैसे कि उस की डिक्री।
4	विभागिक द्वारा धारा 105 के अधीन अंशदानों के रूप में निर्धारित राशियां।	रजिस्ट्रार या विभागिक के मांगपत्र पर कलेक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाया के रूप में।
5	इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अन्तर्गत देय राशियां।	विहित रीति में।

दूसरी अनुसूची

क्रम सं०	अपील योग्य आदेश	वे व्यक्ति, जिनके द्वारा और वे प्राधिकारी, जिन के पास अपील की जा सकेगी	परिसीमा अवधि
1	2	3	4
1	धारा 10 के अधीन किसी सहकारी सभा या धारा 12 के अधीन किसी उपविधि के संशोधन के पजीयन की अस्वीकृति का आदेश।	सभा के किसी भी सदस्य द्वारा — (क) यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रजिस्ट्रार के पास।	उस दिनांक से दो मास, जब आदेश सभा को दिया गया हो।
2	धारा 29 के अधीन अयोग्यता का आदेश या धारा 30 के अधीन प्रबन्धक समिति का विघटन करने तथा सभा के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए व्यक्ति को नियुक्ति का आदेश।	प्रबन्धक समिति के किसी भी सदस्य द्वारा— (क) यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रजिस्ट्रार के पास।	उस दिनांक से दो मास, जब आदेश सभा को दिया गया हो।
3	धारा 64 के अधीन तैयार किए गए सिंचन क्षेत्र या धारा 65 के अधीन तैयार किए गए रक्षित क्षेत्र के मानचित्र के विवरण में की गई कोई प्रविष्टि या उस से रही हुई भूल।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा कलेक्टर के पास।	विवरण का प्रकाशन होने के दिनांक से दो मास।
4	धारा 64 के अधीन जल-कर या धारा 65 के अधीन तटबंद सुरक्षा कर का निर्धारण।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के पास।	विवरण का प्रकाशन होने के दिनांक से दो मास।
5	धारा 78 के अधीन व्यय (costs) अभिभाजन करने का आदेश।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज के पास।	उस दिनांक से एक मास जब पीड़ित व्यक्ति को आदेश दिया गया हो।

दूसरी अनुसूची— क्रमागत

1	2	3	4
6	धारा 88 या 89 के अधीन रजिस्ट्रार या विवाचक का कोई आदेश, निश्चय या परिनिर्णय।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा— (क) यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रजिस्ट्रार के पास।	उस दिनांक से दो मास जब आदेश, निश्चय या परिनिर्णय पीड़ित व्यक्ति को दिया गया हो।
7	धारा 103 के अधीन सभा के समापन का आदेश।	सभा के किसी भी सदस्य द्वारा— (क) यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रजिस्ट्रार के पास।	उस दिनांक से दो मास जब सभा को आदेश दिया गया हो।
8	धारा 105 के अधीन विनिश्चिक का आदेश, निश्चय या परिनिर्णय।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के पास।	उस दिनांक से दो मास जब आदेश, निश्चय या निर्णय पीड़ित व्यक्ति को दिया गया हो।
9	धारा 98 या 99 के अधीन दिया गया आदेश।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति में डिस्ट्रिक्ट जज के पास।	उस दिनांक से तीन मास जब आदेश पीड़ित व्यक्ति को दिया गया हो।
10	ऐसा कोई भी आदेश या निश्चय, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा अपील योग्य घोषित हुआ हो।	उस व्यक्ति द्वारा, जो नियमों में विहित प्राधिकारी के पास अपील करने के लिए सक्षम (competent) घोषित हो।	विहित अवधि।

तीसरी अनुसूची

क्रम संख्या	अपराध	उत्तरदायी व्यक्ति	शास्ति
1	2	3	4
1	किसी ऐसे नाम या शीर्षक में शब्द "सहकारी" अथवा "co-operative" का अप्राधिकृत प्रयोग, जिसके अधीन धारा 7 का उल्लंघन करके व्यवसाय चलाया जा रहा हो।	जिस में यह शब्द इस प्रकार प्रयोग होता हो उस नाम या शीर्षक के अधीन व्यवसाय चलाने वाली कम्पनी, सभा या व्यक्ति।	ऐसा अर्थदन्ड, जो पचास रु० तक हो सकेगा, और यदि अपराध जारी रहे तो अपराधी ठहराए जाने के पश्चात् प्रत्येक एसे दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रहे पांच रुपए तक का पुन: अर्थदन्ड।
2	किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करने, कोई विवरण बनाने या सूचना देने में जानबूझ कर प्रमाद करना याइन्कार करना जिसे करने, बनाने या प्रदान करने की इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षा की गई हो।	कार्य करने, विवरण बनाने या सूचना प्रदान करने में प्रमाद करने वाला या उस से इन्कार करने वाला व्यक्ति।	ऐसा अर्थदन्ड, जो पचास रु० तक हो सकेगा और यदि अपराध जारी रहे तो अपराधी ठहराए जाने के के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रहे पांच रुपए तक पुनः अर्थदन्ड।
3	जानबूझ कर झूठा विवरण बनाना या झूठी सूचना प्रदान करना, जिसे बनाना या प्रदान करना इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित हो।	जानबूझ कर झूठा विवरण बनाने वाला या झूठी सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति।	ऐसा अर्थदन्ड, जो एक सौ रुपए तक हो सकेगा।
4	सभा को धोखा देने के विचार से या सभा के प्रथम प्रभार के प्रतिकूल कोई कार्य करने के विचार से ऐसी सम्पत्ति को हटाना या व्यवस्थापित कराना या ऐसी	वह व्यक्ति, जिस के द्वारा या जिस की ओर से सम्पत्ति हटाई गई हो या व्यवस्थापित की गई हो या कार्य किया गया हो।	ऐसा कारावास जो छः महीने तक का हो सकेगा ऐसा अर्थदण्ड जो पांच सौ रुप तक हो सकेग।

तीसरी अनुसूची—क्रमागत

1	2	3	4
	सम्पत्ति हटाने या व्यवस्थापित करने में सहायता करना जिस पर धारा 70 के अधीन सभा का प्रथम प्रभार हो ।		
5	कोई ऐसा कार्य या ऐसी भूल, जो नियमों द्वारा अपराध घोषित हो।	ऐसा व्यक्ति जिसे नियमों द्वारा उत्तरदायी ठहराया गया हो।	नियमानुसार सभा से सदस्य का निष्कासन तथा उन में व्यवस्थिति शास्ति।

लक्ष्मण दास,
सचिव।

Printed and Published in India by the Manager, H. P. Government Press, Simla-3.